शनिवार,
९ मई, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13·3·12
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शनिवार, ९ मई, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

प्रश्न नहीं पूछे गये—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ।

श्री पन्ना लाल कोशिक का देहान्त

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि आज सवेरे वायुयान दुर्घटना में श्री पन्नालाल कौशिक की, जो कि इस सदन के सदस्य थे, मृत्यु हो गई। सदन की ओर से मैं उनके परिवार वालों के पास सहानभूति का संदेश भेज रहा हूं।

सदन के सदस्यों ने एक मिनट तक शान्तिपूर्वक खड़े होकर शोक प्रगट किया।

चाय विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन चाय विधेयक पर आगे विचार करेगा। खण्ड २, ३ तथा ४ स्वीकार कर लिए गये थे।

संशोधन न होने के कारण खण्ड ५ तथा को भी विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ७—(उपाध्यक्ष महोदय)

संशोधन प्रस्तुत हुआ :

पृष्ठ ३ में, खण्ड ७ के स्थान पर निम्नलिखित ग को आदिष्ट किया जाये।

"7. **Vice-chairman**—The Board shall elect from among its members a Vice-chairman who shall exercise such of the powers and discharge such of the duties of the Chairman as may be prescribed or as may be delegated to him by the Chairman."

(७. **उपाध्यक्ष**—बोर्ड अपने सदस्यों में से ही एक उपाध्यक्ष चुनेगा जो अध्यक्ष के ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो निर्धारित कर दिये गये हों या जिनका अध्यक्ष प्रत्यायोजन कर दे।)

—[**श्री ए० एम० टामस**]

संशोधन स्वीकार कर लिया गया तथा खण्ड ७ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ८—(कार्यपालिका आदि)

खण्ड ८ भी विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ९—(सचिव तथा कर्मचारीवृन्द)

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडे) : इस सम्बन्ध में मैंने एक संशोधन रखा है। मैं चाहता हूं कि १००० रुपये या इस से अधिक

[श्री दामोदर मेनन]

पाने वालों को भी लोक सेवा आयोग नियुक्त करे। खण्ड ९ के उपखण्ड (१) के मद (ख) के अनुसार ऐसे अधिकारियों को सरकार नियुक्त करेगी। जब अन्य पदों पर नियुक्तियां लोक सेवा आयोग से परामर्श करके की जाती हैं तो इन पदों पर भी नियुक्तियां उसी प्रकार क्यों न की जायें।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमकर) : सरकार जो नियुक्तियां करती है उनके सम्बन्ध में जहां तक सम्भव होता है लोक सेवा आयोग की राय ले लेती है। परन्तु मैं इस समय यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि हम हर मामले में लोक सेवा आयोग की राय लेंगे ही।

संशोधन अस्वीकार कर दिया गया।

खण्ड ९ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड १०—(बोर्ड के कृत्य)

श्री एस० सी० देब (कचार-लुशाई पहाड़ियां) : मैंने रद्दी चाय के सम्बन्ध में दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं। जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रद्दी चाय का उपयोग नहीं किया जा सकता है फिर भी, इसमें रद्दी चाय के लिए लाइसेन्स देने की व्यवस्था की गई है। मैं चाहता हूं कि रद्दी चाय मनुष्यों को पीने के लिये न दी जाये। होता यह है कि अक्सर लोग इस रद्दी चाय को बढ़िया चाय के साथ मिला कर बाज़ार में बेचते हैं। मैं चाहता हूं कि इसे बाज़ार में न जाये; चाहे इसको और किसी प्रयोग में क्यों न लाया जाये।

श्री करमकर : मैं संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। इस मामले पर प्रवर समिति ने भी विचार किया था किन्तु वह भी इस बात का निश्चय नहीं कर पाई थी कि रद्दी चाय वास्तव में होती क्या है। इसकी निश्चित परिभाषा करना बहुत कठिन है।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं श्री देव द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों का समर्थन तो नहीं कर सकता, फिर भी, वाणिज्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे रद्दी चाय को दुकानदार अच्छी चाय के साथ मिला कर न बेच सकें। मेरा सुझाव है कि इस रद्दी चाय को कारखानों में ही खराब कर दिया जाये जिससे उसका मनुष्य उपयोग न कर सकें।

श्री ए० बी० टामस (श्री वैकुण्ठम्) : हमारे यहां चाय बगीचों में रद्दी चाय को या तो नष्ट कर दिया जाता है या उसे इस प्रकार का कर दिया जाता है जिससे वह मनुष्यों द्वारा उपयोग करने के लायक न रहे। यदि माननीय मंत्री मुझे यह आश्वासन दे दें कि जैसे ही रद्दी चाय की परिभाषा कर दी जायेगी वह रद्दी चाय के बेचने पर पाबन्दी लगा देंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : बोर्ड के कृत्यों में यह भी कार्य शामिल है :—चाय की किस्म में सुधार करना, चाय उत्पादन तथा बनाने वाले व्यक्तियों में सहयोग की भावना को बढ़ाना, वैज्ञानिक, टेकनालाजिकल तथा आर्थिक खोज कराना, चाय में लगने वाले कीड़ों के सम्बन्ध में नियंत्रण करना प्रदर्शन फार्मों को बनाये रखना, आदि। इन कार्यों को देखने से पता लगता है कि यह चाय उद्योग के विकास के सम्बन्ध में अनेक योजनाएं हैं। परन्तु, कल, जब मेरे माननीय मित्र श्री पुन्नूस ने विकास को विधेयक के उद्देश्यों में शामिल करने के लिये संशोधन प्रस्तुत किया तो माननीय मंत्री ने कहा था कि चाय कृषि विषय है और इसलिए केन्द्रीय सरकार को विधेयक के उद्देश्यों में विकास को उद्देश्य के रूप में शामिल करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। परन्तु बोर्ड के जो

कृत्य बतलाये गये हैं वे विकास की ही तो योजनायें हैं। कल माननीय श्री पुन्नूस का संशोधन स्वीकार न करके हमने संविधान का अक्षरतः पालन किया था। परन्तु यदि हम आज इन कृत्यों को शामिल कर लेते हैं, जो कि विकास योजनायें हैं, तो हम संविधान की भावना के प्रतिकूल काम करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री के विचार जानना चाहूंगा।

श्री सरमा (गोलाघाट-जोरहाट) : मैं चाहता हूं कि चाय बगीचों में काम करने वाले डाक्टरों को भी श्रमिकों में ही गिना जाये जिससे उन्हें भी वही सुविधायें उपलब्ध हो सकें जो अन्य श्रमिकों को दी जाती हैं। क्योंकि डाक्टरों को भी ३०० रुपये से कम वेतन मिलता है।

श्री एन० एम० लिंगम (कोइम्बटूर) : रद्दी चाय के सम्बन्ध में प्रवर समिति ने काफी विचार किया था तथा अन्त में यह तय पाया गया कि इसकी परिभाषा नियमों के लिए छोड़ दी जाये। यह सुझाव रखा गया था कि उन शर्तों को लाइसेंन्स में ही लिख दिया जाये जिनके अनुसार रद्दी चाय को बाजार में बेचा जा सकता है। यही कारण है कि इसे परिभाषा वाले खण्ड में नहीं रखा गया। मेरे विचार में इसकी परिभाषा का न किया जाना ही उत्तम है।

संशोधन अस्वीकार कर दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि:

"खण्ड १० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १० विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ११—(बोर्ड का विघटन)

श्री ए० वी० टामस : मैंने इस खण्ड के सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि जब सरकार को इस विधेयक के अनुसार बोर्ड को विघटित करने का अधिकार प्राप्त है तो वह विघटन करने का कारण भी आदेश में बतला दे।

श्री दामोदर मेनन : मैंने अपने माननीय मित्र श्री ए० वी० टामस के संशोधन को कुछ बढ़ा दिया है। इस खण्ड के अनुसार सरकार को बोर्ड को विघटित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तथा उसे इस बात की सूचना सरकारी गज़ट में भी देनी होगी। मेरे संशोधन के अनुसार ऐसी अधिसूचना, विघटन के कारणों के एक विवरण सहित, सदन पटल पर रखी जानी चाहिये। साधारणतः बोर्ड को विघटित नहीं किया जायेगा, फिर भी, यदि असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया जाता है तो सरकार को ऐसा करने के कारण बतलाते हुए सदन पटल पर एक विवरण रखना चाहिये। जिससे सदन उन कारणों को जान सके तथा आवश्यकता हो तो उन पर चर्चा भी कर सके।

श्री करमरकर : मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं क्योंकि पहले तो ऐसा करने का कभी अवसर ही नहीं आयेगा और यदि विघटन ही करना पड़ा तो उसके बहुत ही विशेष कारण होंगे।

दूसरे, सरकार के रूप में हम सदन के सम्मुख हमेशा ही प्रस्तुत रहते हैं। यहां तक कि अल्प सूचना प्रश्न पूछ करके भी चाय बोर्ड के विघटन के कारण जाने जा सकते हैं। इस सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सदन को हमेशा ही विघटन के कारण उपलब्ध हो सकेंगे इसलिये हम यह आवश्यक नहीं समझते कि स्वयं अधिसूचना में इन कारणों का उल्लेख किया जाये।

श्री दामोदर मेनन : सदन पटल पर रखने के सम्बन्ध में क्या राय है?

श्री करमरकर : हो सकता है कि हमें ऐसी कार्यवाही ऐसे समय में करनी पड़े जब सदन का सत्र न हो रहा हो। सवाल इस बात का है कि कितने समय में वह सदन पटल पर रखा जाये। वर्तमान संशोधन के अनुसार तो उसे तीन वर्ष पश्चात् भी रखा जा सकता है। अतः कितने समय में रखा जाये, जब तक इसका उल्लेख नहीं कर दिया जाता है तब तक इससे कोई लाभ न होगा।

श्री ए० वी० टामस ने सदन की अनुमति से अपना संशोधन वापस ले लिया।

श्री दामोदर मेनन का संशोधन अस्वीकार कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ११ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ११ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड १२ से २३ तक विधेयक के अंग बना लिये गये।

खण्ड २४—(परिसीमा आदि)

संशोधन प्रस्तुत हुआ :

पृष्ठ ९, पंक्ति ३२ में,

" three" (तीन) शब्द के स्थान पर "ten" (दस) शब्द आदिष्ट किया जाये।

—[श्री ए० वी० टामस]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड २५—(शुल्क इत्यादि का निर्धारण)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ ९ में ४५ व ४६ वीं लाइनों के स्थान यह आदिष्ट किया जाये :

"(2) The cess levied under sub-section (1) shall be in addition to any other duty leviable under the Indian Tariff Act, 1934 (XXXII of 1934) or any other law for the time being in force and shall be collected by such agencies and in such manner as may be prescribed."

["(२) उप-धारा (१) के अन्तर्गत लगाया गया उप-कर भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४ (सन् १९३४ का ३२ वां) अथवा उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के अतिरिक्त होगा और उन अभिकरणों के द्वारा तथा उस रीति से जो निर्धारित की जायेगी, वसूल किया जायेगा"]

(श्री करमरकर)

खंड २५, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया

खण्ड २६—(शुल्क आदि का भुगतान)

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ १० पर खंड २६ के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाये :

"26. *Payment of proceeds of cess to the Board.*—the proceeds of the cess levied under sub-section (1) of section 25 shall first be credited to the Consolidated Fund of India, and the Central

Government may thereafter, from time to time, pay to the Board from and out of such proceeds such sums of money as it may think fit after deducting the expenses of collection."

["२६. उपकर से हुई आय का पर्षद् को भुगतान--धारा २५ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत लगाये गये उप-कर से हुई आय को पहले तो भारत की संचित निधि में आकलित की जायेगी और केन्द्रीय सरकार उसके बाद समय समय पर, उस आय में से परिषद् को वसूली के सम्बन्ध में हुए व्यय को काट कर ऐसी धन राशियां देगी जिन को वह उपयुक्त समझेगी"]

श्री ए० वी० टामस : माननीय मंत्री ने बताया कि समस्त आय को केन्द्रीय आय में मिला देने और आवश्यक धन परिषद् को देने में कुछ सांविधानिक कठिनाइयां हैं। यदि ऐसा है तो मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : मेरा प्रश्न है कि क्या यह उप-कर उद्योग पर कोई शुल्क है अथवा यह उत्पादन शुल्क है। यदि यह उत्पादन शुल्क है तो क्या इस मंत्रालय ने कर लगाने का दायित्व वित्त मंत्रालय से ले लिया है। यदि यह उत्पादन शुल्क नहीं है और उपकर है तो मंत्रालय को समस्त आय खजाने में जमा कर देने और थोड़ा बहुत देने का कोई अधिकार नहीं है। अतः यह है क्या ?

श्री करमरकर : यह एक उप-कर है और जो कुछ हम कर रहे हैं वह पूर्णतया सांविधानिक है -

संशोधन स्वीकृत हुआ।

खंड २६, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड २७--(निधि की स्थापना)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १० की पंक्ति ८ में "the proceeds of the duties of customs."

["वहिः शुल्कों से हुई आय"] के स्थान पर "the proceeds of the cess." [उप-कर से हुई आय"] आदिष्ट किया जाये।

[श्री करमरकर]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

खंड २७, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड २८ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड २९--(लेखे तथा लेखा परीक्षा)

डा० एम० एम० दास : (बर्दवान--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : यह खंड चाय परिषद् के लेखों की परीक्षा करने के लिये लेखा परीक्षक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है। लेखा परीक्षक की नियुक्ति में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कुछ हाथ न होने के कारण परिषद् के व्यय लेखों पर संसदीय नियंत्रण नहीं रहेगा।

भारत की संचित निधि में से धन की मांग किये जाने पर संसद् को नीति तथा व्यय की मदों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। दूसरे व्यय हो जाने पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखों की जांच करके अपनी रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है और अपनी रिपोर्ट संसद् के समक्ष प्रस्तुत करती ह। अतः धन पर दुहरा नियंत्रण रहता है, व्यय से पहले भी और बाद

[डा० एम० एम० दास]

को भी। जब तक दोनों बातें नहीं होंगी तब तक संसदीय नियंत्रण पूर्ण रूपेण नहीं होगा।

खंड २६ के अनुसार उपकर से हुई समस्त आय भारत की संचित निधि म जमा की जायेगी और आय व्ययक के अवसर पर मांग किये जाने पर नीति तथा कम शीर्षकों के सम्बन्ध में सदन को चर्चा करने का अवसर मिलेगा। परन्तु संसद् को यह भी तो देखना ह कि धन समुचित रीति से व्यय हो, और यह काम महालेखा परीक्षक द्वारा ही हो सकता है। विधान सभा तथा जनता को यह आश्वासन देने के लिये कि धन का समुचित उपयोग हुआ है महालेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र होना आत्यावश्यक है।

अनुदान देना तथा धन को व्यय करना शासक दल पर निर्भर होता है परन्तु महालेखा परीक्षक एक स्वतन्त्र व्यक्ति होता है जो सरकार के प्रभाव से मुक्त होता है और सत्तारूढ़ राजनैतिक दल के प्रभाव से परे होता है। संविधान के अनुसार महालेखा परीक्षक को सत्तारूढ़ दल प्रभावित नहीं कर सकता है। अत: वह सरकार की तनिक भी परवाह किये बिना अपना निर्णय दे सकता है।

आज सरकार कोई ३० उपकरों से कोई १०० करोड़ रुपया वसूल करके उसे बिना किसी प्रकार के संसदीय नियंत्रण के व्यय कर रही है। इन उपकरों से हुई आय भारत की संचित निधि में नहीं आती है और जिस प्रकार वह व्यय की जाती है उस पर संसद् को चर्चा करने या आलोचना करने का अवसर नहीं मिलता है। और ना हीं नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखाओं की जांच ही करता है।

मेरा निवेदन यह है कि जितनी शीघ्र इन उपकरों की वसूली और व्यय पर संसद् का नियंत्रण हो जाये उतना ही उत्तम है। यह आवश्यक है कि सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किये गये प्रत्येक व्यय के लिये लेखे की जांच नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाये। जनता का विश्वास प्राप्त करने तथा आलोचना को रोकने का यह सर्वोत्तम साधन है। हम विधेयक के उपबन्धों के अनुसार सरकार स्वयं ही बिना नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श किये लेखा परीक्षक नियुक्त करेगी, मेरा संशोधन का आशय यह है कि लेखा परीक्षक की नियुक्ति के समय तो कम से कम महालेखा परीक्षक की सहायता ली जानी चाहिये।

श्री करमरकर : मैं जो कुछ माननीय मित्र ने कहा उससे सहमत हूं। परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि पश्चिमी बंगाल के महालेखापाल को नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से परिषद् का लेखा परीक्षक नियुक्त कर दिया गया है। अत: मेरे विचार से इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस से क्या होता है ? संसद् का समस्त व्यय पर नियंत्रण होना चाहिये।

श्री करमरकर : मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि यह प्रणाली चालू रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपत्ति क्या है ? राजस्व से जो भी आय हो वह संसद् के अधिकार में होनी चाहिये और महालेखा परीक्षक द्वारा उसकी लेखा परीक्षा होनी चाहिये। माननीय मंत्री इस पर विचार कर लें।

श्री करमरकर : मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। परन्तु मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि नियुक्ति करते समय महालेखा परीक्षक से परामर्श किया जाता रहेगा।

संशोधन मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ।

संशोधन प्रस्तुत किया गया :

पृष्ठ १० पंक्ति २४ में "the Act" ["अधिनियम"] के स्थान पर "this Act" ["यह अधिनियम"] आदिष्ट किया जाये ।

--[श्री करमरकर]

खंड २९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया--

खंड ३०--(मूल्य नियंत्रण करने का अधिकार इत्यादि)

संशोधन प्रस्तुत किया गया :

पृष्ठ ११ की पंक्तियां ५ से ७ तक के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाये :

"(b) direct any person growing, manufacturing or holding in stock tea or tea waste to sell the whole or a part of such tea or tea waste so grown or manufactured during any specified period, or to sell the whole or a part of the tea or tea waste so held in stock, to such person or class of persons and in such circumstances as may be specified in the order;"

-- [Shri Karmarkar]

[" (ब) चाय या रद्दी चाय को उगाने, बनाने या उन का स्टॉक करने वाले किसी व्यक्ति को उस निर्धारित अवधि में उगाई गई या बनाई गई चाय या रद्दी चाय के कुल अथवा कुछ भाग को बेच देने, या स्टॉक में रखी चाय या रद्दी के कुल अथवा कुछ भाग को उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के उस वर्ग को जैसा कि आदेश में दिया गया हो बेच देने का आदेश दे ।"]

--[श्री करमरकर]

पृष्ठ ११ में पंक्ति ९ के बाद यह आदिष्ट किया जाये :

"(4) where in pursuance of any order made with reference to clause (b) of sub-section (3) any person sells the whole or a part of any quantity of tea or tea waste, there shall be paid to him as price therefor--

(a) where the price can be fixed by agreement consistently with the order, if any, relating to the fixation of price issued under sub-section (1), the price so agreed upon;

(b) where no such agreement can be reached, the price calculated with reference to any such order as is referred to in clause (a);

(c) where neither clause (a) nor clause (b) applies, the price calculated at the market rate prevailing in the locality at the date of the sale."

--[Shri Karmarkar]

[" (४) यदि उप-धारा (३) के खंड (ख) के अन्तर्गत जारी किये गये किसी आदेश के अनुसार कोई व्यक्ति चाय या रद्दी चाय की कुल मात्रा या कुछ भाग को बेच देता है तो उसे उसके मूल्य के रूप में इस प्रकार भुगतान दिया जायेगा--

(क) यदि उपधारा (१) के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में जारी किये गये किसी आदेश के अनुसार परस्पर समझौते से मूल्य निश्चित किया जा सकता ह तो उक्त निर्धारित मूल्य;

(ख) यदि इस प्रकार का कोई समझौता न हो सका हो तो खंड (क) में निर्दिष्ट किसी वैसे ही आदेश के अनुसार निश्चित किया गया मूल्य ;

(ग) जहां न खंड (क) और न ही खंड (ख) लागू हो तो उक्त क्षेत्र में विक्रय की तिथि को प्रचलित बाज़ार मूल्यों के आधार निर्धारित किया गया मूल्य।"]

—[श्री करमरकर]

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्) : माननीय मंत्री ने अपने भाषण में पूर्व परामर्श की प्रणाली लागू न करने के यह कारण दिये हैं कि जब हम भारत के मुख्य न्यायाधिपति या चुनाव आयोग से परामर्श करते हैं तो परामर्श सरकारी होता है तो सुझाव अन्तिम होता है और सरकार पर्षद् को यह ऐसा कोई अधिकार नहीं देना चाहती है ।

मेरी समझ में नहीं आता है कि जब सरकार का पर्षद् पर सम्पूर्ण रूप से नियंत्रण है तो माननीय मंत्री को संशोधन को स्वीकार करने में क्यों आपत्ति है । इस संशोधन से तो सरकार को कार्यवाही करने का अधिकार मिलता है । अतः मेरा आशय यह है कि पूर्व परामर्श खंड ३० का एक निश्चित भाग होना चाहिये । खंड १० चाय की बिक्री तथा निर्यात को नियमित करने के लिये है । और यह कार्य पर्षद् के कृत्यों के अन्तर्गत आता है इस लिये पर्षद् से परामर्श करना अच्छा ही है ।

माननीय मंत्री पर्षद् की स्थिति को भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा चुनाव आयोग के समकक्ष नहीं रखना चाहते हैं, परन्तु संसद् के द्वारा पारित किये गये अधिनियम के अनुसार बनाये गये पर्षदों जैसे चाय पर्षद् और अन्य पर्षदों जैसे परामर्शदात्री पर्षदों में बहुत अन्तर है । अतः चाय पर्षद् की स्थिति अन्य पर्षदों से भिन्न होनी चाहिये । अतः मेरा सुझाव यह है कि इस खंड में यह संशोधन किया जाये कि सरकार पर्षद् से परामर्श करने के बाद ही कोई कार्यवाही करेगी, अतः कोई कार्यवाही करने से पूर्व परामर्श करना वांछनीय है ।

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : खंड ३० एक आपातिक उपबन्ध है । यह सरकार मूल्य नियत करने का अधिकार देती है पर्षद् से परामर्श करने में देर लगेगी । इस लिये यदि यह निश्चित किया जाये कि मूल्य निर्धारण पर्षद् से परामर्श करने के बाद ही किया जाये तो इस से खंड का आशय ही समाप्त हो जाता है । मेरा निवेदन यह है कि यह आपातिक अधिकार केवल उसी समय काम में लाये जायें जब कि कोई ऐसा अवसर ही आ जाये और यदि ऐसे मौक़ों पर भी परामर्श करने में देर लगी तो उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा ।

श्री पन्नूस (आल्लप्पी) : मैं संशोधन का समर्थन करता हूं । उक्त पर्षद् पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में है । ऐसे पर्षद् को कुछ अधिकार तथा स्तर दिया जाना आवश्यक है । इस में आपातिक अवस्थाओं का कोई निर्देश नहीं है । मेरे विचार से उद्योग की उत्तरोत्तर प्रगति के लिये पर्षद् को उत्तरदायित्व की भावना से युक्त करना अत्यावश्यक है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : खंड ३१ में प्रावधान है कि सरकार पर्षद्

के आदेशों को रद्द अथवा संशोधित कर सकता है। किसी ऐसी आपातिक अवस्था में जिन में कि पर्षद् से परामर्श करने से सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो तो कहा जा सकता है कि परामर्श करने मे देर होगी। खंड ३० साधारण मामलों पर भी तो लागू होता है जैसे अधिकतम तथा निम्नतम मूल्य निर्धारण करना भी तो एक आवश्यक बात है, और यह मूल्य बिना उत्पादकों, बनाने वालों व्यापारियों इत्यादि मे परामर्श किये बिना ही निश्चित नहीं किये जा सकते हैं।

जिन मामलों में पर्षद मे परामर्श करना व्यवहार्य न हो उन में उस मे परामर्श न किया जाये। यह तो मैं समझता हूं। परन्तु यदि सरकार पर्षद् से परामर्श ही नहीं करती है तो पर्षद् की ही क्या आवश्यकता है। यह एक परिनियत पर्षद् है और उसे कुछ निश्चित कार्य सौंपे गये हैं और यदि पर्षद् से परामर्श ही नहीं किया गया तो उसे बनाने से लाभ ही क्या है। अतः मेरा निवेदन है कि पर्षद् से परामर्श करना आवश्यक है नहीं तो पर्षद् अपना कार्य ही नहीं करेगा। यदि पर्षद् से परामर्श ही नहीं किया गया तो इस विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोडे) : इस पर्षद् की एक कार्यपालिका समिति भी है। मेरे विचार से सरकार को इस समिति से परामर्श करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री एन० एम० लिंगम (कोइम्बटूर) : मूल्य निर्धारिण का कार्य एक प्रविधिक कार्य है पर्षद् में विभिन्न हितों को प्रतिनिधित करने वाले व्यक्ति होते हैं अतः वह इस कार्य को करने में असमर्थ हैं। देश तथा विदेशों की वर्तमान परिस्थितियों को देखे पर्षद् को मूल्य निर्धारण करना बहुत कठिन है, अतः सरकार को मूल्य निर्धारण के मामले में स्वविवेक देना आवश्यक है। इसी कारण यह कार्य पर्षद् से इसे लिया गया है।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : चाय का मूल्य निर्धारण एक उलझी हुई समस्या है। चाय की विभिन्न क़िस्मों में अन्तर करना विशेषज्ञों तक के लिये कठिन होता है। अब प्रश्न यह है कि इस का निर्णय कौन करे—पर्षद् जिस में उत्पादक, निर्माता, विक्रेता तथा उपभोक्ता सभी हैं या सचिवालय जिसके सामने यह मामला कभी कभी आता है। तनिक माननीय मंत्री अपने परामर्शदाताओं से यह तो पूछें कि देश में कितनी प्रकार की चाय उत्पन्न होती है। उन को नहीं मालूम होगा, अतः पर्षद् से पूर्व परामर्श करना आवश्यक है।

सरकार ने रद्दी चाय पर लगे उपकर को हटा लिया था परन्तु विरोध किये जाने पर उसे फिर से लगाना पड़ा। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसी चीज़ के मूल्य निर्धारित करने की ज़िम्मेदारी, जिस की अनेकों क़िस्में हों, सरकार को अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिये।

यदि देश की आन्तरिक मांग के सम्बन्ध में कोई ग़लती हुई है तो उसे समय आने पर ठीक किया जा सकता है, परन्तु यदि विदेशी मंडियों के सम्बन्ध में कोई ग़लती हो जायेगी तो उस मे हमारे राष्ट्रीय धन की बहुत अधिक हानि होगी। और चाय की क़ीमतों में भी तो फ़र्क़ होता है। दार्जिलिंग में पैदा हुई चाय द्वार या कचार में उत्पन्न हुई चाय से तीन गुने मूल्य पर बिकती है।

[श्री बर्मन]

विदेशों में भी विभिन्न देशों में चाय के मूल्य बहुत भिन्न हैं। अतः मेरा निवेदन है कि मूल्य निर्धारित करते समय सरकार को पर्षद् से परामर्श करना बहुत आवश्यक है।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : चाय पर्षद् का उद्देश्य सम्पूर्ण चाय उद्योग का नियंत्रण करना है। उसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व है, अतः मूल्य निर्धारण में उससे परामर्श करना अत्यावश्यक है। मैं माननीय मंत्री से इस प्रश्न पर विचार करने की प्रार्थना करूंगा। सामान्य परिस्थितियों में सरकार को अवश्य ही परामर्श करना चाहिये, किसी आपात के समय यदि सरकार ऐसा न करे तो भी कोई विशेष बात नहीं है परन्तु परामर्श उसे अवश्य करना चाहिये।

श्री अच्युतन (कोंगान्नूर) : पर्षद् एक परामर्शक संस्था है। आशा तो यह है कि जब विभिन्न हितों का परस्पर विरोध होगा तो सरकार कोई कठोर कार्यवाही नहीं करेगी, परन्तु साधारण बातों में वह पर्षद् से परामर्श करेगी। पर्षद् में विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होने का कारण मूल्यों के सम्बन्ध में कोई एक रूप निर्णय करना सम्भव नहीं है। परन्तु पर्षद् से परामर्श कर लेने के बाद यह उत्तरदायित्व कुछ कम हो जाता है। यदि सरकार स्वयं अपने विवेकानुसार ही सब कुछ करेगी तो आपत्ति हो सकती है कि अमुक हित से परामर्श नहीं किया गया है। परन्तु पर्षद् से परामर्श करने के बाद सभी हित सन्तुष्ट हो जाते हैं। अतः पूर्व परामर्श करना बहुत आवश्यक है।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक): सरकार मूल्य निर्धारण का अधिकार लेना चाहती है, परन्तु मूल्य निर्धारण एक कठिन कार्य है अतः मुझे आशा है कि सरकर इसे आपाती परिस्थितियों में ही करेगी। मान लीजिये सरकार १ रुपया प्रति पौंड मूल्य निर्धारित कर दे और उस मूल्य पर कोई खरीदार न मिले तो उत्पादकों तथा निर्माताओं का क्या हाल होगा। चाय खराब हो जाय। दूसरी ओर यदि सरकार बाहर भेजी जाने वाली चाय का मूल्य निर्धारित करना चाहती है तो भी वह अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों के कारण ऐसा नहीं कर सकती। अतः यदि सरकार देश में खपने वाली अथवा निर्यात की जाने वाली चाय के मूल्य पर कोई नियंत्रण करती है तो उद्योग नष्ट हो जायेगा। अतः केवल मात्र आपातिक परिस्थितियों में ही सरकार को मूल्य निर्धारिण करने चाहियें। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि आपातिक मामलों में ही सरकार चाय के मूल्य निर्धारित करेगी।

श्री सरमा (गोलाघाट–जोरहाट) : यदि चाय उद्योग के प्रबन्ध का सारा भाग श्रम पर छोड़ दिया जाय तो वह उसे संभाल सकता है क्योंकि युद्ध काल में जो व्यक्ति इस उद्योग में आये थे वह अपनी पूंजी इस से निकाल चुके हैं और जो कुछ बच रहा है वह श्रमिकों का खून पसीना मात्र ही है : परन्तु इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि आपात के समय सरकार इस उद्योग पर नियंत्रण करे और मूल्य निर्धारण करे। मूल्यों के चढ़ने की दशा में कोई भी मूल्यों को गिराने की चेष्टा नहीं करेगा। परन्तु ऐसी परिस्थिति में सरकार के लिये पर्षद् से परामर्श करना यदि अनिवार्य कर दिया गया तो यह तो सरकार के अधिकार पर अंकुश लगाना होगा। सरकार के राजदूत तथा वाणिज्य महादूत देश देश में है। और इसलिये मूल्यों के सम्बन्ध में सरकार को अधिक सूचना मिलती रहती है और चाहने पर वह सूचना

मांग भी सकती है। परन्तु इस में पर्षद् से परामर्श करने का उपबन्ध करने से इस विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

श्री करमरकर : इस विधेयक का मूल उद्देश्य सरकार को और अधिक अधिकार देना है। यह सत्य है कि खंड ३१ के अन्तर्गत सरकार नियंत्रण रखती है। परन्तु मूल्य निर्धारण का प्रश्न एक ऐसी समस्या है जिस में अनेकों दलों के हित हैं और केवल मात्र सरकार ही निरपेक्ष भाव से कुछ सुझाव दे सकती है।

साधारणतया पर्षद् से परामर्श किया जायेगा। यदि सरकार के हस्तक्षेप को आपाती परिस्थितियों तक ही सीमित कर दिया जाता तो ठीक था, परन्तु ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि आपाती अवस्था न होने पर भी सरकार पर्षद् से परामर्श न करना चाहे। एक बार मैं ने अपने एक मित्र से आयात निर्यात नीति के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया था, और उन्होंने वैसे ही मुझ से पूछा कि सामान्य खुली अनुज्ञप्ति में कौन कौन सी वस्तुएं रखी गई थीं। यही बात यहां है। यदि सरकार मूल्य निर्धारित करना चाहती है तो उसे उत्पादकों के, श्रम के, उपभोक्ताओं के तथा स्वयं उद्योग के हितों को ध्यान में रखना होगा। यह कार्य केवल मात्र सरकार ही कर सकती है, और सामान्य परिस्थितियों में सरकार पर्षद् से परामर्श करती रहेगी। प्रश्न यह रह जाता है कि सरकार के अधिकार को केवल मात्र आपाती परिस्थितियों तक ही सीमित क्यों न कर दिया जाये ? परन्तु ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिन में हितों के परस्पर संघर्ष को बचाने के लिये कोई निर्णय करना आवश्यक होता है। मान लीजिये मूल्यों को घटाना या बढ़ाना हो, तो इस संशोधन का आशय यह है कि जिस समय भी मूल्य घटाने या बढ़ाने हों तभी सरकार पर्षद् से परामर्श करे, इस से सट्टेबाजी शुरू हो जायेगी। इस संशोधन के विरोध में मेरा यही तर्क है। अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ ११ की पंक्ति १० में, "(४)" के स्थान पर "(५)" आदिष्ट किया जाये।

—[**श्री करमरकर**]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३० संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ३१—(सामान्य नियंत्रण आदि)

श्री ए० एम० टामस : मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं।

श्री के० सी० सोधिया : सरकार को उपकरों के द्वारा कोई १०० करोड़ रुपयों की आय होती है परन्तु इस धन राशि के व्यय किये जाने के सम्बन्ध में संसद् को चर्चा करने अथवा आयव्ययक की परीक्षा करने का कोई अवसर नहीं मिलता है। इस पर्षद् को कोई ८ करोड़ रुपया व्यय करने के लिये दिया जायेगा। चाय एक मूल्यवान वस्तु है और इतना विदेशी विनिमय इस से मिलता है कि इसके लिये सभी संभव प्रकार के प्रचार कार्य किये जाने तथा समस्त धन राशि के व्यय कर दिये जाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि यह धन राशि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के आयव्ययक में तो होगी ही और सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। परन्तु यह सत्य है कि संसद को इस पर पूरी तरह चर्चा करने

[श्री के० सी० सोधिया]

का अवसर नहीं मिलेगा । इसीलिये यह संशोधन रखा गया है जिस से कि संसद् को इस पर्षद् के आयव्ययक को देखने और उस पर चर्चा करने का अवसर मिल सके । अतः इस मामले में जितनी सरकार की रुचि है उतनी ही रुचि करदाता की है । अतः यह आवश्यक है कि पर्षद् का आयव्ययक तथा उसकी रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी जाये जिस से कि हम को ज्ञात हो सके कि पर्षद् क्या कर रहा है और किस प्रकार धन को व्यय कर रहा है । यह एक बैध मांग है और इस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री करमरकर: इस में दो बातें उठाई गई हैं, एक यह कि पर्षद् की रिपोर्ट सदन को उपलब्ध होनी चाहिये । हमारा भी यही विचार है कि सदस्यों को रिपोर्ट उपलब्ध होनी चाहिये । सरकार इस पर विचार करेगी और नियमों में इस का समावेश कर देगी ।

दूसरी बात आयव्ययक के सम्बन्ध में है । इस में कठिनाई यह है कि आगामी वर्ष के आयव्ययक का प्राक्कलन बनाते समय तक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि आयव्ययक तो चालू वर्ष में ही बना लिया जाता है परन्तु रिपोर्ट वर्ष के अन्त से बाद ही प्राप्त हो सकेगी । रिपोर्ट पर आय-व्ययक सम्बन्धी चर्चा के समय विचार किया जा सकता है । ऐसी परिस्थिति में सदन के समक्ष आयव्ययक रखना सम्भव नहीं हो सकेगा और आयव्ययक प्रस्तुत करके सदन को उस पर चर्चा करने का अवसर न देना और भी अधिक निरर्थक होगा । अतः मैं इस सुझाव को मानने में असमर्थ हूं ।

जब आयव्ययक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके कुछ भाग स्वीकृत होते हैं और कुछ अस्वीकृत । यह स्वीकृति या अस्वी-कृति अन्तिम होती है । यदि हम आयव्ययक प्रस्तुत करके सदन का परामर्श प्राप्त करें तो पर्षद् बनाने का आवश्यकता ही क्या है । इस समय तो मैं केवल मात्र यही आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस पर भली प्रकार विचार करेंगे । इस समय तो ऐसा करना अव्यवहार्य होगा । जहां तक सदस्यों को रिपोर्ट की प्रतियां दिये जाने का प्रश्न है हम इस व्यवस्था का नियमों में समावेश कर देंगे । आयव्ययक सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्री ए० वी० टामस: इस उपकर से ९४ लाख रुपये की आय होती है और सारा धन केन्द्रीय राजस्व में चला जाता है । तो प्रश्न यह है कि सदन को आयव्ययक का लेखा क्यों न दिया जाये । सदन को यह जानना आवश्यक है कि यह धन राशि किस प्रकार व्यय की जाती है । क्या यह सदन की बैध मांग नहीं है ?

श्री करमरकर: प्राक्कलित राजस्व और व्यय ही तो आयव्ययक होता है । यह सब कुछ सदन के समक्ष रख दिया जायेगा ।

श्री ए० वी० टामस: पिछले वर्ष के आयव्ययक में केवल मात्र आय दिखाई गई है, व्यय के कोई ब्यौरे नहीं दिये गये हैं । यदि इसे सामान्य आय व्ययक में समाविष्ट करना सम्भव न हो तो एक पृथक् आय व्यय लेखा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या श्री सोधिया अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं ?

श्री के० सी० सोधिया: जी नहीं श्रीमान् ।

खंड ३१ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ३२ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ३३—(दलालों को अनुज्ञापत्रित करना)

श्री के० के० बसु : जूट को छोड़ अन्य किसी उद्योग में विदेशियों का उतना प्रभाव नहीं है जितना चाय उद्योग में है । चाय तैयार करने की कुछ विधाओं में भारतीयों का कुछ हाथ नहीं है । केवल एक भारतीय सार्थ ने हाल ही में इसकी दलाली करना आरंभ किया है । इसके दलाल अंग्रेज़ ही हैं । चाय तैयार करने की विभिन्न विधाओं को जानने वाला एक भी भारतीय नहीं है । अतएव सरकार को चाहिए कि वह इस बात का प्रबंध करे कि निकट भविष्य में चाय उद्योग के इन सब भागों का भारतीयकरण हो जाए । यह बात इस खंड द्वारा की जा सकती है ।

श्री करमरकर : विधेयक का उपयोग राष्ट्रहित में किया जाएगा । यदि सब कोई सरकार के साथ सहयोग करें तो यह बात हो सकती है ।

श्री के० के० बसु : यदि आप ठीक दिशा में चल रहे हों ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ३४—(निरीक्षण शक्ति)

श्री ए० वी० टामस : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १२, पंक्ति २ और ३ में यह छोड़ दिया जाए :

"or any member or Officer of the Board" ["बोर्ड का कोई सदस्य अथवा पदाधिकारी"]

श्री वेंकटारमन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ट १२, पंक्ति २ में, "any member" ["कोई सदस्य"] के पश्चात् "so authorised by the Chairman in writing" ["सभापति द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत"] जोड़ दिया जाए ।

मैं सोचता हूं कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी ।

श्री करमरकर : जी ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त दो संशोधन प्रस्तुत किए ।

श्री वेंकटारमन : अभी कोई भी सदस्य चाय के बगीचों का निरीक्षण कर सकता है । इससे कठिनाई होने की संभावना है । मैं चाहता हूं कि सभापति की लिखित आज्ञा पर ही सदस्य निरीक्षण कर सकें । श्री टामस सदस्यों को निरीक्षण–शक्ति सर्वथा नहीं देना चाहते ।

श्री टामस : मेरे माननीय मित्र ने जाने ऐसा क्यों करते हैं । मैं तो केवल यह चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अथवा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति बगीचों का निरीक्षण कर सकता है । यदि बोर्ड के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह क्लर्क हो अथवा अन्य व्यक्ति, बिना किसी प्राधिकार के मेरे स्थान पर निरीक्षण करने की शक्ति होगी तो मुझे बड़ी कठिनाई होगी । मैं चाहता हूं कि केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही निरीक्षण कर सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : बोर्ड या सभापति द्वारा प्राधिकृत ?

श्री ए० वी० टामस : बोर्ड को यह शक्ति होगी । कोई सभापति को प्राधिकृत करेगा ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : इस खंड के विषय में मैं ने अपना विमति टिप्पण दिया था। बोर्ड में विभिन्न प्रकार के ४० सदस्य होंगे। कुछ श्रमिकों के नेता भी होंगे। यदि सब को निरीक्षण का निर्बाध अधिकार दिया जाएगा तो ठीक न होगा। यदि सरकार अथवा बोर्ड किसी सदस्य को निरीक्षण-अधिकारदे दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। सब सदस्यों को अबाध शक्ति दे देने से बड़ी कठिनाई होगी। अतएव मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि "any member" ["कोई सदस्य"] शब्द हटा दिए जाए। पदाधिकारियों को यह शक्ति दी जा सकती है क्योंकि वह उसका दुरुपयोग न करेंगे। मुझे केवल श्रमिकों के नेताओं का भय नहीं है। बगीचे का स्वामी यदि सदस्य हुआ तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग अपने पड़ौसी से बदला निकालने के लिए कर सकता है। श्रमिकों का भला मैं भी चाहता हूं। उनका प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए।

श्री पन्नूस : मैं इस खंड के सब संशोधनों का विरोध करता हूं क्योंकि इसके बदले जाने पर बोर्ड स्थापित करने का कोई उद्देश्य न रह जाएगा। पहिले बगीचों के मालिकों ने बहुत अन्याय किया है। अब यदि बोर्ड के विभिन्न प्रकार के सदस्य निरीक्षण करेंगे तो वे बातें दूर हो जाएंगी। केन्द्रीय सरकार को उन के स्कन्द, तथा बही खातों के जांचने की पूरी शक्ति होनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार निरीक्षण अधिकार किसी भी व्यक्ति को दे सकती है।

श्री ए० बी० टामस : हम बिलकुल यही चाहते हैं।

श्री पन्नूस : इन उद्योगपतियों पर हम पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। इस खंड का संशोधन करने से यह बात न हो सकेगी।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं। केन्द्रीय सरकार अथवा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति तथा बोर्ड के सदस्यों को निरीक्षण-अधिकार होनी चाहिए। प्रवर समिति में इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं मानता हूं कि बोर्ड में विभिन्न प्रकार के सदस्य होंगे फिर भी चाय के बगीचों की बातें प्रत्येक सदस्य को मालूम होनी चाहिए।

सदस्य द्वारा की गई बगीचे की जांच को 'धावा' नहीं कहना चाहिए। केन्द्रीय सरकार द्वारा ध्यान पूर्वक चुने गये सदस्यों से उत्तरदायित्व की आशा की जानी चाहिए। बोर्ड अभी बना ही नहीं और उसकी आलोचना होने लगी।

सभापति की अनुमति लेने में सदस्यों को कठिनाई होगी तथा निरीक्षण कार्य में व्यर्थ की देरी होगी। यह भी नहीं कहा जा सकता कि किस आधार पर वह सदस्यों को अनुमति नहीं देगा। सदस्यों का दर्जा सभापति जैसा ही है अतएव सब को अबाध निरीक्षण की शक्ति होनी चाहिए। यह कहना गलत है कि सदस्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। मैं दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं।

पंडित ठाकर दास भार्गव : मैं दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं क्योंकि मेरी समझ में बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को यह शक्ति देना ठीक नहीं है। अभी बोर्ड का प्रत्येक सदस्य बिना किसी अनुमति के निरीक्षण कर सकता है मैं इस पर आपत्ति करता हूं। यह शक्ति केन्द्रीय सरकार बोर्ड अथवा सभापति को होनी चाहिए।

अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस व्यक्ति को बोर्ड का पदाधिकारी तथा किसे सेवा युक्त व्यक्ति समझा जाए ?

आधारभूत सिद्धान्त तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वस्तुएं तथा सम्पत्ति तथा गृहादि गुप्त रखने का अधिकार होना चाहिए । असामान्य दशाओं में जनहित की दृष्टि से ही इस अधिकार से व्यक्तियों को वंचित किया जाना चाहिए । अभी प्रत्येक सदस्य को निरीक्षण की अबाध शक्ति दी गई है । इससे लोगों को कठिनाई होगी । अतएव हमें इस बात का उपबन्ध करना चाहिए कि इस अधिकार का दुरुपयोग न हो सके ।

बोर्ड के सदस्य विभिन्न प्रकार के होंगे । बगीचों के जो स्वामी बोर्ड के सदस्य होंगे वे दूसरे प्रतिस्पर्धा स्वामियों की गुप्त बातों को जानने का प्रयत्न करेंगे । चाय के बगीचों के कर्मचारी, चाय तैयार करने वाले तथा व्यापारी इस बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं । ये सदस्य की हैसियत से नाजायज लाभ उठा सकते हैं ।

संसद् की बात दूसरी है, परन्तु सब सदस्यों को यह शक्ति देना उचित नहीं है । सरकार जिसे चाहे उस व्यक्ति को निरीक्षण शक्ति दे सकती है । फिर व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करेंगे । सभापति को भी यह शक्ति दी जा सकती है ।

श्री बर्मन : मैं श्री टामस के संशोधन का समर्थन करता हूं । वे चाहते हैं कि बोर्ड के सदस्य या पदाधिकारी को निरीक्षण शक्ति न रहे । केन्द्रीय सरकार, अथवा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ही यह शक्ति होनी चाहिए ।

मैं श्री लिंगम से सहमत हूं कि सदस्यों को चाय के बगीचों की जानकारी होनी चाहिए । बगीचों का कोई स्वामी सदस्यों के इस कार्य में बाधा नहीं देगा । निरीक्षण का कुछ दूसरा ही अर्थ होता है । सब को यह शक्ति देने से बगीचों के मालिकों को कठिनाई होगी । यदि सदस्य चाहें तो सभापति की अनुमति से वे किसी विशेष बात का निरीक्षण कर सकते हैं । इसके लिए अनुमति देने में सभापति को साधारणतया कोई आपत्ति नहीं होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं अतएव माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें ।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर): मैं दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं । प्रवर समिति ने निश्चय किया था कि चाय के बगीचों की दशा खराब है अतएव उसकी आवश्यकता है । बगीचों के स्वामी मध्यकालीन जमींदारों की भांति व्यवहार करते हैं । पुलिस की सहायता के कारण अभी भी उनकी शक्ति बहुत अधिक है । अतएव सदस्यों को यह शक्ति देनी चाहिए । यह शक्ति जिम्मेवार व्यक्तियों को ही दी जा रही है । विभिन्न संस्थाओं के व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे । सरकार तथा बोर्ड को निरीक्षण को नियमित करने की शक्ति रहेगी । अतएव श्रमिकों के हित में यह आवश्यक है कि सदस्यों को निरीक्षण की शक्ति होनी चाहिए । गत फरवरी में चाय के बगीचों में लोगों पर गोलियां चलाई गई थीं । श्रमिक केवल भोजन चाहते थे । श्रमिक संघ के पदाधिकारियों को वहां नहीं जाने दिया गया था ।

श्री करमरकर : श्री वेंकटारमन द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सरकार स्वीकार करने के लिये तैयार है । प्रवर समिति में इस पर काफ़ी विचार हुआ था और यह समझा गया था कि इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार

[श्री करमरकर]

अथवा बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के अतिरिक्त बोर्ड के अधिकारियों तथा सदस्यों को भी यह विशेषाधिकार प्राप्त होना चाहिये। यह कहा जा सकता है कि कोई भी सदस्य एक दम दौरे पर जा सकता है इससे सम्बद्ध पार्टियों को कुछ शंका उत्पन्न हो सकती है। सरकार इसी लिये यह समझती है कि "सभापति द्वारा लिखित रूप में इस प्रकार अधिकृत" संशोधन बहुत उचित है और इससे किसी प्रकार की शंका भी नहीं रहेगी। बोर्ड को अपना कार्य करने के लिये कुछ विशिष्ट अधिकार होने ही चाहियें। इसके अधिकारी अनुदेशों के अन्तर्गत कार्य करेंगे। अतः बोर्ड के अधिकारियों तथा सदस्यों को दिये गये अधिकार छीन लेना अनुचित होगा। अतः मैं श्री टामस द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं जिसमें सदस्यों तथा अधिकारियों के वर्ग को छोड़ने की बात है, और श्री वेंकटारमन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १२ में, पंक्ति २ में, "any member" [किसी सदस्य] के पश्चात "So authorised by the Chairman in writing" [सभापति द्वारा लिखित रूप में इस प्रकार अधिकृत] निविष्ट किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"खण्ड ३४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ३५—(बोर्ड के अधिकार आदि)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन अनावश्यक है क्योंकि सामान्य खण्ड अधिनियम के अन्तर्गत 'डाक' का अर्थ 'रजिस्टर की गई डाक' से है।

पंडित ठाकर दास भार्गव : श्रीमान्, जी, क्या इसमें सामान्य डाक सम्मिलित नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : 'डाक' से अभिप्राय 'रजिस्टर की गई डाक' है। क्या सरकार को इस संशोधन के स्वीकार कर लेने पर आपत्ति है ?

श्री करमरकर : कोई आपत्ति नहीं है।

संशोधन किये गये :

पृष्ठ १२ में, पंक्ति ९ में,

"post" (डाक) से पूर्व "registered" [रजिस्टर की गई] निविष्ट किया जाय।

—[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

पृष्ठ १२ में, पंक्ति २४ में, "post" [डाक] से पूर्व "registered" [रजिस्टर की गई] निविष्ट किया जाय।

—[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३५ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३५ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ३६ तथा ३७ विधेयक के अंग बना लिये गये ।

खण्ड ३८--(गति अवरोध के लिए दण्ड)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पष्ठ १२ में, पंक्ति ४१ में, "who" [जो] के पश्चात् "without lawful excuse [बिना वैध कारण के] जोड़ दिया जाय ।

(२) पृष्ठ १२ में, पंक्ति ४२ में, "a member or officer of the Board or" [बोर्ड का कोई सदस्य या अधिकारी या] हटा दिया जाय ।

(३) पृष्ठ १२ में, पंक्ति ४९ में, "one year" [एक वर्ष] शब्द के स्थान पर "six months" [छै महीने] शब्द आदिष्ट किये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या संख्या (२) बाधित नहीं है ?

पंडित ठाकर दास भार्गव : श्री वेंकटारमन के स्वीकृत संशोधन को दृष्टि में रखते हुए इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उनका अभिप्राय यह है कि "इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार अथवा बोर्ड द्वारा अधिकृत" शब्द किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में लागू होते हैं, इसमें भी खण्ड ३४ जैसी भाषा होनी चाहिये और खण्ड ३४ में रखी गई अतिरिक्त पाबन्दी भी इसमें होनी चाहिये । यह आवश्यक है ।

श्री करमरकर : जैसे 'सदस्य' शब्द की परिभाषा की आवश्यकता नहीं उसी प्रकार 'अधिकारी' शब्द की परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति या बोर्ड का कोई अधिकारी वहां जा कर निरीक्षण कर सकता है । जहां तक किसी अधिकारी का सम्बन्ध है उसे किसी भी व्यक्ति से अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं । उसके लिये सभापति से ही अधिकार प्राप्त करना काफ़ी है । यह इसमें होना चाहिये ।

श्री करमरकर : मैं इस विषय में सम्मति लूंगा । यह पाबन्दी, इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे जो अधिकार प्राप्त होगा उसके तथा उसका जो कर्त्तव्य होगा उसके पालन करने में पर्याप्त होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पाबन्दी इस कार्य के निमित्त अधिकृत किसी व्यक्ति पर तो होगी किन्तु बोर्ड के सदस्य पर नहीं । अतः इसमें बोर्ड के सदस्य के सम्बन्ध में संशोधन रखा जाय ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसके अतिरिक्त मैं सदन के सम्मुख दो बातें और रखना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि 'बिना वैध कारण के' शब्द जोड़ दिये जायें और दण्ड एक वर्ष की अपेक्षा छै महीने का हो । दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि श्री वेंकटारमन का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : "सदस्य" शब्द के पश्चात् "सभापति द्वारा लिखित रूप में अधिकृत" शब्द जोड़ देने चाहियें । आप उस संशोधन को प्रस्तुत कर सकते हैं ।

पंडित ठाकर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १२ में, पंक्ति ४२ में,

"member" [सदस्य] शब्द के पश्चात् "authorised by the Chairman in writing" [सभापति द्वारा लिखित रूप में अधिकृत] शब्द निविष्ट किये जायें ।

श्री पुन्नूस : मुझे कुछ शंका है । यदि सभापति द्वारा अधिकृत व्यक्ति 'क' चाय के बग़ीचे का निरीक्षण करने जाय तो क्या इसका यह अर्थ है उसे केवल चाय के बग़ीचे 'क' का निरीक्षण करने का ही अधिकार दे अथवा यह श्री वेंकटारमन के संशोधन में निर्दिष्ट सब बग़ीचों के निरीक्षण के सामान्य अधिकार के रूप में हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम खण्ड ३८ पर चर्चा कर रहे हैं । इसमें 'इस कार्य के निमित्त सभापति द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति को रोकता है' शब्द ठीक रहेंगे । हम इस विधेयक पर ११–१५ म० पू० तक चर्चा समाप्त कर देंगे । हम इस पर पांच घंटे तक चर्चा कर चुके हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधनों पर विचार किया जाय । दण्ड विधान पढ़ने से ऐसा लगता है कि मानो उसमें अवरोध करने की परिभाषा नहीं की गई है । हम नहीं जानते कि अवरोध करना क्या है । इसमें बल प्रयोग हो सकता है और यह बिना बल प्रयोग के भी हो सकता है । इस पर बहुत से निर्णय दिये जा चुके हैं । यहां 'किसी सदस्य को रोकता है' शब्द प्रयुक्त हैं । भारतीय दण्ड विधान में 'जो कोई भी स्वेच्छापूर्वक रोकता है' शब्द प्रयुक्त हैं । मेरा निवेदन है कि केवल 'अवरोध' शब्द से कई कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी । अतः मेरा संशोधन सरल है । इसमें एक वर्ष की सज़ा बहुत ज्यादा है ।

श्री करमरकर : कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत कार्य करने से रोकता है तो वह इस विधेयक के अन्तर्गत दण्डनीय है । यदि क़ानून के अन्तर्गत किसी को रोकने की कोई बात होती तो इस विधेयक के उपबन्धों में उसका उल्लेख होता । हम सब प्रकार के अवरोध कार्य को अवैध घोषित करना चाहते हैं । एक वर्ष की सज़ा तो खूब सोच समझ कर रखी गई है और सरकार इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकती ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १२ में, पंक्ति ४२ में, "member" [सदस्य] के पश्चात् "authorised by the Chairman in writing" [सभापति द्वारा लिखित रूप में अधिकृत] निविष्ट किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३८ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३८ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ४१—(उल्लंघन आदि के लिये दण्ड)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"Contravenes any order made under sub-section (i) or sub-section (3) of section 30" [धारा ३० की उप धारा (१) अथवा उपधारा (३) के अन्तर्गत बनाये गये किसी आदेश का उल्लंघन करता है] शब्दों के स्थान पर "Charges or pays more or less than the maximum and the minimum price fixed under section 30" [धारा ३० के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य से अधिक या कम लेता है अथवा देता है] शब्द निविष्ट किये जायें।

धारा ३० में केवल यह कहा गया है कि आदेश द्वारा अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। खण्ड ४१ में किसी ऐसे कार्य का उल्लेख नहीं किया गया जिसको करने से दण्ड मिल सकता हो। मुझे यह उपबन्ध निरर्थक मालूम देता है। दण्ड सम्बन्धी खण्ड में सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसमें उस कार्य का निश्चित रूप से उल्लेख हो, जिसके करने से उसके करने वाले व्यक्ति को दण्ड मिल सकता है।

श्री करमरकर : हम अपने आदेश इस प्रकार से बनायेंगे जिस से माननीय सदस्य द्वारा बताई गई बात पूरी हो जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ४१ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४१ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ४२—(अन्य दण्ड)

श्री पुन्नूस : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १३ में, पंक्ति २० में,

"Act" (अधिनियम) के पश्चात् "or any provision of any law relating to labour" [अथवा मजदूरों तथा उनके कार्य की दशा से सम्बन्धित किसी कानून का कोई उपबन्ध] निविष्ट किया जाये।

इस संशोधन द्वारा मैं मजदूरों की दशा में सुधार करने के सम्बन्ध में कानून को प्रभावकारी बनाना चाहता हूं। संसद् द्वारा पारित कुछ कानूनों का कुछ सरकारें पालन नहीं कर रही हैं। चाय बागान श्रमिक अधिनियम तथा न्यूनतम मजूरी अधिनियम को बहुत से चाय बागान के मालिक लागू नहीं कर रहे हैं। यदि इस अधिनियम को पारित करने का हमारा ध्येय चाय उद्योग का भला करना है तो हमें मजदूरों की कुछ न कुछ सहायता करनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि मजदूरों की सुरक्षा का भी प्रबन्ध होना चाहिये। चाय बागान में मजदूरों की हालत ऐसी है कि किसी भी समय उनकी छटनी की जा सकती है और उन्हें अपने मकानों को उसी समय छोड़ना पड़ता है। इससे मजदूरों को बहुत अधिक कठिनाइयां होती हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय और उनकी सुरक्षा का भी प्रबन्ध किया जाय।

श्री वेंकटारमन् : मैं समझता हूं कि कानून का यह सामान्य सिद्धान्त है कि यदि

[श्री वेंकटारमन्]

किसी विशेष अधिनियम के अन्तर्गत अपराध किया गया हो तो दण्ड उसी अधिनियम के अन्तर्गत मिले । यदि कोई अपराध चाय अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है तो वह चाय अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है । यह तो एक बड़ी अजीब सी बात होगी यदि हम यह कहें कि श्रमिकों से सम्बन्धित किसी उपबन्ध के उल्लंघन को इसी विधेयक के, जो इस समय यहां प्रस्तुत ह, अन्तर्गत दण्ड मिलना चाहिये । मैं समझता हूं कि यह संशोधन आवश्यक नहीं ।

श्री करमरकर : हम समझते हैं कि यह संशोधन इस विधेयक के प्रसंगानुकूल नहीं है । हम इसका विरोध करते हैं । मज़दूरों से सम्बन्धित कानूनों में संशोधन तो तब किये जाने चाहियें जबकि वे कानून यहां प्रस्तुत हों ।

श्री नम्बियार : हम तो केवल अनुचित प्रकार की छटनी के विरुद्ध सुरक्षा चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु ऐसे उपबन्ध हम चाहे जहां नहीं कर सकते ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ४२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

खंड ४२ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ४३ — (कम्पनियों द्वारा अपराध)

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैंने इस खण्ड के सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत किया है । मैं देखता हूं कि प्रत्येक कानून में, विशेषकर कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले अपराधों के सम्बन्ध में बनाये गये कानूनों में, सरकार यह चाहती है कि वे व्यक्ति भी जो कोई अपराध नहीं करते हैं कानून की पकड़ में आ जायें । सरकार को आशंका रहती है कि कहीं बड़े व्यक्ति, जो कम्पनियों को चलाते हैं, कानून की पकड़ से बाहर न रह जायें ।

परन्तु यह बात ठीक नहीं है । यदि मैंने कोई अपराध किया है तो आप मुझ पर उसकी जिम्मेदारी लाद सकते हैं । किन्तु आप किसी ऐसे व्यक्ति पर अपने आपको निर्दोष प्रमाणित करने की जिम्मेदारी क्यों डालते हैं जो बिल्कुल ही निर्दोष है ? यदि कोई व्यक्ति किसी काम के करने या न करने का दोषी है तो उस के ऊपर आरोप लगाया जाना ठीक है, किन्तु यदि किसी व्यक्ति ने कुछ भी न किया हो और कम्पनी का काम केवल कल्याण अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कर रहा हो, तो उसे यह कह कर कानून की पकड़ में लाने का क्या कारण कि वह कम्पनी को चलाने के काम में भाग ले रहा था ? उसका अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है । उसका अपराध में कोई हाथ नहीं है, फिर भी जिन के हाथ में शक्ति है वे उसे दोषी बतला कर उस पर अपने आपको निर्दोष प्रमाणित करने की ज़िम्मेदारी डाल सकते हैं । जिन कम्पनियों की देखभाल प्रबन्ध एजेण्टों के हाथ में है, मैं जानना चाहता हूं उन कम्पनियों के संचालक कौन सा अपराध कर सकते हैं । वे बोर्ड की बैठक में जाते हैं, काम करते हैं, और अपनी फीस लेकर आ जाते हैं । इसके अलावा वे और कुछ नहीं करते । परन्तु इस उपबन्ध के अनुसार, उन मामलों में भी जिनमें प्रबन्ध एजेण्ट काम करते हैं, वे व्यक्ति भी जो दोषी नहीं हैं और जिनका अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है, कानून की पकड़ में ले लिये जायेंगे ।

मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति जिसका अपराध से कोई सम्बन्ध हो, छोड़ दिया जाये या बच निकले। इसके विपरीत मैं चाहता हूं कि उसे अवश्य ही सज़ा दी जाये। मैं तो चाहता हूं कि उन लोगों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाये जो अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते हैं। परन्तु यदि हम ऐसा कानून बनाते हैं जिसकी पकड़ में निर्दोष व्यक्ति भी आ सकते हैं तथा जिसके अन्तर्गत उस व्यक्ति को भी पकड़ा जा सकता है जिसने कुछ भी न किया हो, तो यह ग़लत चीज़ होगी। सरकार को भय है कि कहीं बड़े लोग भाग न निकलें, मैं भी चाहता हूं कि यदि वे अपराधी हैं तो उन्हें अवश्य दण्ड दिया जाये। परन्तु साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि बड़े लोगों को केवल इसलिये ही दण्ड न दिया जाये क्योंकि वे बड़े आदमी हैं। हमें उचित कानूनों को बना कर उनको लागू करना चाहिये। यदि हम अनुचित कानून बनाते हैं और उनको लागू नहीं करते तो हम दोनों ही तरह से दोषी हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि यदि बड़े व्यक्ति भूल करते हैं या अपना कर्त्तव्य पालन करने में लापरवाही दिखलाते हैं तो उन्हें अवश्य ही दण्ड दिया जाना चाहिये। किन्तु इस सीमा से बाहर जाना उचित न होगा। निर्दोष व्यक्तियों को कानून की पकड़ में लाना बिल्कुल ग़लत बात है। यदि कोई अपराध करता है तो उसे अवश्य दण्ड दीजिये किन्तु निर्दोषों को तो छोड़ दीजिये।

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो राय प्रगट की है मैं उससे सहमत नहीं हूं। जब कार्य-संचालन किसी अवैयक्तिक प्राधिकार के हाथ में हो और किसी विशेष व्यक्ति पर जिम्मेदारी न डाली जा सके तो तब तक उन व्यक्तियों को प्रत्यक्षतः जिम्मेदार समझना चाहिये जो कार्य संचालन कर रहे हों जब तक कि वे यह प्रमाणित नहीं कर देते कि उनका उस अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरे माननीय मित्र पंडित भार्गव अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि इसकी व्यवस्था नहीं की जाती है तो कम्पनियों को 'अपराध स्वीकार' करने वाले प्रबन्धक रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक प्रबन्धक पर, जो अपराध करता है, जुर्माना किया जा सकता है। प्रबन्ध संचालक तथा अन्य व्यक्ति, जो कम्पनी के जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं उत्तरवादिता से बचने के लिए फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत हमेशा एक प्रबन्धक नियुक्त कर देते ह, जो जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तथा १०० रुपये जुर्माना कर दिया जाता है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से कानून में बराबर परिवर्तन किया जा रहा है जिससे लोग इस प्रकार सहज में छुटकारा न पा सकें। अब प्रत्यक्षतः तब तक उन्हीं लोगों पर जिम्मेदारी; लादी जाती है, जो कम्पनी का कार्य संचालन करते हैं, जब तक कि वे यह प्रमाणित नहीं कर देते कि वे निर्दोष हैं। यह उपबन्ध बहुत आवश्यक है। यह उपबन्ध न हुआ तो बड़ी गड़बड़ी फैल जायेगी।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : इस मामले में हम और सरकार एक ही सा मत रखते हैं। मैं जानता हूं कि चाय बागीचों के मालिक हर प्रकार की शरारत करके भी कानून की पकड़ से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाना चाहिये जो जरा भी जिम्मेदार हो। नियमों का उल्लंघन होने के समय जो व्यक्ति जिम्मेदार होगा उसी के विरुद्ध कायवाही की जायेगी। मेरे विचार में यह उपबन्ध बहुत आवश्यक है। इसके विरोध में जो संशोधन

[श्री नम्बियार]

रखा गया है मैं उससे सहमत नहीं हूं इस मामले में मैं सरकार के साथ हूं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कानून के जिन सिद्धान्तों को उठाया है मैं उनका समर्थन करता हूं। परन्तु क्योंकि ऐसे ही उपबन्धों की अन्य अधिनियमों में भी व्यवस्था की जा चुकी है इसलिए पंडित भार्गव का संशोधन तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले अपराधों के सम्बन्ध में एक पृथक् कानून नहीं बना दिया जाता है। अन्यथा उनका संशोधन ध्यान देने योग्य है।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : हम संशोधन को स्वीकार नहीं करते। कारण बिल्कुल स्पष्ट है। उनका उद्देश्य है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति कानून की पकड़ से न बच निकले जो वास्तव में जिम्मेदार हो। इसका प्रबन्ध खण्ड ४३ के उपखण्ड (१) में कर दिया गया है। उसमें बताया गया है "प्रत्येक भार-साधक व्यक्ति" इस्तगासे को यह पूरी तरह प्रमाणित करना होगा। इसका भार इस्तगासे पर है—वह व्यक्ति वास्तव में कम्पनी का भार-साधक है तथा कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था। इस्तगासे द्वारा यह प्रमाणित कर देने के पश्चात मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे माननीय वकील मित्र·····

पंडित ठाकरदास भार्गव : उस काम के लिये ज़िम्मेदार या भार-साधक नहीं जिसके सम्बन्ध में अपराध हुआ है बल्कि कम्पनी के सामान्य कार्य-संचालन के सम्बन्ध में —— उदाहरणार्थ, डाक्टर, इंजीनियर या अन्य किसी व्यक्ति को ही ले लीजिये जिसका उस मामले से कोई सम्बन्ध न हो जिसके बारे में अपराध हुआ हो।

श्री करमरकर : मैं उसी बात पर आ रहा था। अतः पहला उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में कम्पनी का भार-साधक है झूठे बहाने बना कर न बच निकले। जो कुछ भी काम उसके नीचे होता है वह उसके लिए जिम्मेदार है। जो कुछ मेरे आदरणीय मित्र ने कहा है मैं उसको समझता हूं। उपखण्ड (२) में निर्दोष व्यक्तियों के लिए व्यवस्था की गई है। परन्तु वह उन व्यक्तियों की ओर से सफाई दे रहे हैं जिन्हें दोषी व्यक्तियों में शामिल किया जा सकता है—वे व्यक्ति जो वास्तव में भार-साधक हैं—हो सकता है ऊपर से देखने में वे ऐसे प्रतीत न हों; हो सकता है वह संचालक या प्रबन्धक या और कोई व्यक्ति हों, वे निर्दोषों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वह उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके विरुद्ध वे कार्यवाही करवाना चाहते हैं। अतः कम्पनी के भार-साधक व्यक्ति कम्पनी के कार्यों के लिए जिम्मेदार होने चाहियें।

दूसरी बात यह है कि उप-खण्ड (२) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस्तग़ासे को यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि अपराध संचालक या प्रबन्धक की सम्मति या उपेक्षा से किया गया है। केवल ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत ही संचालक अथवा प्रबन्धक दंड का भागी हो सकेगा।

ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत यह उपबन्ध बहुत ही आवश्यक है और यदि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो मुझे खेद है कि इस सम्बन्ध में मेरे विद्वान् मित्र का संशोधन किसी प्रकार भी लाभकारी नहीं है।

संशोधन अस्वीकार कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ४८—(निलम्बन आदि)

श्री पुन्नूस : मुझे खंड ४८ का एक संशोधन रखना है । अधिनियम को निलम्बित करते समय या कुछ समय के लिये अधिनियम के कतिपय उपबन्धों की क्रियान्विति रोकते समय सरकार को बोर्ड के साथ विचार-विनिमय करना चाहिये । मेरे संशोधन का उद्देश्य यही है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ १४, पंक्ति १७ में,

"Central Government may" [केन्द्रीय सरकार·····"] के पश्चात् "after consultation with the Board" [बोर्ड के साथ विचार-विनिमय करने के बाद] शब्द निविष्ट किये जायें ।

श्री करमरकर : यह संशोधन तर्कसंगत नहीं है । मैं इसका विरोध करता हूं ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४८ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ४९ तथा ५० विधेयक के अंग बना लिये गये ।

खंड ५१—(निरसन आदि)

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ १६, पंक्ति ३७ में,

" repealed " ["निरसित"] के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"except to the extent that the pending prosecutions and proceedings shall be continued and offences committed against the relevant penal provisions of these Acts up to the time of repeal of these Acts shall be punishable and may be dealt with as if these provisions were not repealed."

["सिवाय उस सीमा तक कि लम्बित अभियोजन और कार्यवाही जारी रही आयेंगी तथा इन अधिनियमों के संगत दांडिक उपबन्धों के विरुद्ध इन अधिनियमों के निरसन के समय तक किये गये अपराध दंडनीय होंगे और उनके सम्बन्ध में इस प्रकार कार्यवाही की जायेगी मानो ये उपबन्ध निरसित ही नहीं किये गये थे।"]

(२) पृष्ठ १७ में

पंक्ति १४ से लेकर १७ तक का लोप किया जाय् ।

मेरे संशोधन प्रस्तुत करने का कारण संविधान के अनुच्छेद २० में दिया गया है जो इस प्रकार है :

"कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उसन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, और न वह उससे अधिक दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था।"

जहां तक इस उपबन्ध के उद्देश्य का प्रश्न है, मैं सरकार से सहमत हूं। मैं भी चाहता हूं कि उन व्यक्तियों को दंड दिया जाये। परन्तु मुझे आशंका है कि ये उपबन्ध बैध नहीं रहेंगे। तत्संवादी उपबन्धों के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को दंड नहीं दिया जा सकेगा; इसलिये मैंने ये संशोधन रखे हैं।

श्री वेंकटारमन : प्रथम संशोधन तो अनावश्यक है क्योंकि यह साधारण खंड अधिनियम में ही आ जाता है। साधारण खंड अधिनियम की धारा ६ में दांडिक कार्यवाहियों के जारी रखे जाने का उपबन्ध है। जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। संविधान में तो यह कहा गया है कि यदि कोई क्रिया, जिस दिन कि वह की गई थी उस दिन अपराध नहीं थी तो वह बाद में अपराध नहीं घोषित की जा सकती। परन्तु यदि कोई क्रिया किसी पुराने अधिनियम के अन्तर्गत की जाने के दिन अपराध थी, तो वह नये अधिनियम के अन्तर्गत भी अपराध घोषित की जा सकती है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५१ विधेयक का अंग बने।"

खंड ५१ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १—(संक्षिप्त नाम आदि)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया।

पूरा नाम

डा० एम० एम० दास : संशोधन को जिस आधार पर ठुकराया गया वह पूर्णतः ग़लत था। कल श्री पुन्नूस के एक ऐसे ही संशोधन पर चर्चा करते हुए माननीय मंत्री ने यह कहा कि यहां "विकास" शब्द के विषय में उनके पास संवैधानिक प्रमाण है। चाय उद्योग शत प्रतिशत कृषि-उद्योग है और केन्द्रीय सरकार को उसके विकास के लिये योजनायें तथा कार्यक्रम बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक संसद् विधि द्वारा घोषित न कर दे, तब तक सदन का उस पर क्षेत्राधिकार नहीं होगा। इसीलिये सदन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अब 'पूरे नाम' में भी वही बात समाविष्ट की जाने की अपेक्षा है। परन्तु मैं समझता हूं कि यह चीज़ सदन के विनिश्चय द्वारा बाधित हो चुकी है।

प्रश्न यह है :

"कि नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गय।

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

श्री एच० एन० शास्त्री (जिला कानपुर--मध्य) : मुझे इस विधेयक का समर्थन करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि यदि इस विधान को उसी भावना से क्रियान्वित किया गया जिस भावना से कि यह बनाया गया है, तो इससे चाय उद्योग को बहुत सहायता मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि इस विधान को 'प्लान्टेशन ऐक्ट' की तरह खटाई में नहीं पटका जायेगा।

अफ़सोस मुझे तो केवल एक बात का है वह बात यह है कि सरकार ने वह संशोधन स्वीकार नहीं किया जिसमें यह कहा गया था कि विधेयक में उद्योग की कार्य-स्थिति की जांच के लिये उपबन्ध किया जाये। हमें आशा थी कि जब चाय विधेयक प्रवर समिति से वापस आयेगा तो चाय उद्योग के नियन्त्रित उद्योगों में शामिल किये जाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी। परन्तु न जाने क्यों सरकार ने यह बात नहीं मानी।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

अब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि चाय उद्योग पर संकट आने का मुख्य कारण कुप्रबन्ध था। कुप्रबन्ध के ही कारण यह उद्योग--यद्यपि उस ने युद्धोत्तर कालावधि में अभूतपूर्व लाभ कमाया था--संकट के समय खड़ा न रह सका। चाय बागों के मालिकों ने मजूरी को, जो पहले से ही बहुत कम थी, कम करवा लिया, परन्तु उद्योग का बाकी सब खर्चा ज्यों का त्यों अधिक बना रहा। जब कि चाय के बगीचों में काम करने वाले मज़दूर की औसत मजूरी ४० रुपये प्रति मास है वहां के मैनेजर को कुछ मिला कर औसतन कोई २८७० रुपये प्रति मास मिलते हैं। इस के अलावा उसे पेंशन तथा लाभांश पाने का भी हक्क है। यदि चाय उद्योग को जीवित रखना है और यदि उद्योग में इस बढ़े हुए खर्चे को कम करना है, तो इस का एकमात्र उपाय यह है कि सरकार इसे अपने नियंत्रण में ले ले।

चाय उद्योग में से कुप्रबन्ध तथा अत्यधिक व्यय की चर्चा करते हुए मैं उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में चाय की उत्पादन लागत का उल्लेख करूंगा। उत्तर भारतमें, जिस में आसाम तथा बंगाल क्षेत्र हैं, प्रति पौंड चाय की उत्पादन-लागत लगभग २० आने बैठती है, जब कि दक्षिण भारत में यही १५ आने है। यानी दोनों में ५ आने का अन्तर है। इस बात से मेरा अभिप्राय केवल यह है कि यदि किसी उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण किये जाने की आवश्यकता है, यदि किसी उद्योग के कुप्रबन्ध की जांच करवाये जाने की आवश्यकता है, तो ऐसा उद्योग चाय उद्योग ही है। सरकार ने न जाने क्यों इस विधान को उद्योग (विकास तथा विनियमन) विधेयक का सा रूप नहीं दिया और इन बातों का ध्यान नहीं दिया। फिर भी मैं विधेयक का इस आशा से समर्थन करता हूं कि सरकार अनुभव से लाभ उठावेगी और जल्दी ही इस सम्बन्ध में एक संशोधक विधेयक प्रस्तुत करेगी।

श्री एन० एम० लिंगम : चाय उद्योग को आज एक संकट का सामना है। यदि सरकार ने इसे अच्छी तरह न संभाला तो इस का परिणाम देश के लिए बहुत हानिकारक होगा। इस उद्योग के द्वारा ही हम दस लाख व्यक्तियों को काम देते हैं और विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। अतः यह न केवल सरकार बल्कि नियोजक और श्रम का कर्तव्य है कि वे परस्पर सहयोग से इस उद्योग को प्रोत्साहन द।

[श्री एन० एम० लिंगम]

मैं एक बात की ओर विशेष रूप से निर्देश करूंगा। सरकार ने इस उद्योग का अध्ययन करने के लिए कोई अनुसन्धान केन्द्र नहीं खोले और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने दक्षिण के बागों में लगने वाली बीमारियों को रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया।

एक और खतरा यह है कि यदि योरोपियन लोग जो उद्योग के ८० प्रति शत के मालिक हैं चले गये, तो उन का स्थान कौन लेगा। मेरे विचार में सरकार को उद्योग को अपने हाथ में ले लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और इस के लिए आवश्यक है कि सरकार को उद्योग के सब पहलुओं का ज्ञान हो।

राजाराम समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि दारजीलिंग की पहाड़ियों पर जो बाग हैं, उन की प्रति एकड़ उपज बहुत कम है और संधारण व्यय अत्यधिक है।

दक्षिण के छोटे छोटे बागों में उगाने वाले की दशा और भी खराब है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन छोटे छोटे बागों को विकसित होने के लिए अधिकतम स्वतन्त्रता देनी चाहिए ताकि ये आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बन सकें। वास्तव में इन छोटे छोटे पहाड़ी बागों को चाय विस्तार नियन्त्रण के उपबन्धों के प्रवतन से मुक्त कर देना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पहाड़ों पर जो चाय पैदा होती ह वह सामान्यतः बढ़िया किसम की होती है। यदि हम बढ़िया किसम की चाय चाहते हैं, तो पहाड़ों पर होने वाले वाली चाय की पैदावार को बढ़ाना होगा।

नये विधेयक में चाय के गुण, प्रकार, वितरण और मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए नये उपबन्ध किये गये हैं। क्या ये सफल सिद्ध होंगे। इस का पता तो इन के प्रवर्त्तन में आने पर चलेगा। किन्तु फिर भी यह चाय उद्योग के विकास की दिशा में एक ठीक पग है।

श्रम के कल्याण के सम्बन्ध में बहुत से अधिनियम हैं—

न्यूनतम मजूरी अधिनियम, बागात श्रम अधिनियम, औद्योगिक झगड़े आदि। इस विषय में मेरी धारणा यह है कि यदि बागात के मज़दूरों के कल्याण को केवल एक ही अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाये, तो इस से बहुत लाभ होगा।

श्री दामोदर मेनन : मैं इस विधेयक का उस हद तक स्वागत करता हूं जिस हद तक कि यह एक ऐसे उद्योग पर सरकारी नियन्त्रण स्थापित करता है जो कि हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य प्रकार से यह विधेयक बहुत प्रभावी नहीं। मुझे यह देख कर निराशा हुई है इस में सरकार को इस उद्योग में सक्रिय साझी बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। सरकार के साझी बनने से विदेशियों को सारा लाभ ले जाने से रोका जा सकेगा और उचित निचय बनाया जा सकेगा।

हम सब जानते हैं कि इस उद्योग में विदेशी अधिष्ठित हितों के पैर जम गये हैं। हम ने राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है किन्तु चाय उद्योग से हमारी आर्थिक पराधीनता का पता चलता है। हम जितनी जल्दी इस पराधीनता को दूर कर सकें, यह आर्थिक क्षेत्र में हमारी समृद्धि और स्वतन्त्रता के लिए उतना ही अच्छा होगा। मेरी सदा यह राय रही है कि जहां तक विदेशी व्यापार का सम्बन्ध है, सरकार का पहला पग यह होना चाहिए कि वे इसे अपने हाथ में ले ले और इसे सरकारी तत्वावधीन में चलायें। जब तक हम चाय के विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण न

कर लेंगे, तब तक हम उद्योग को उचित रूप से विकसित नहीं कर सकेंगे।

यह उद्योग भारत के गरीब मज़दूरों के खून और श्रम से ही विकसित हुआ है। अतः यदि इस उद्योग के लाभ पर किसी का अधिकार है, तो इन मज़दूरों का है, जिन्होंने अत्यन्त अरुचिकर तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में इसे विकसित करने के लिए परिश्रम किया है। मैं आशा करता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने जो अधिकार लिये हैं, वे मज़दूरों के कल्याण के लिए प्रयोग किये जायेंगे।

माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि चाय के केवल २० प्रतिशत बाग भारतीय नागरिकों के पास हैं। मैं ने अपने प्रदेश में देखा है कि भारतीय चाय उद्योग को विकसित नहीं कर सकते। कारण यह है कि बड़े बड़े बागों वाले विदेशियों के पास ऐसी बहुत सी भूमि है जिस में कृषि बिलकुल नहीं की गई। ये भूमि उन्हों ने लम्बी अवधि के पट्टों पर ले रखी हैं। वे न तो स्वयं उस में कृषि करते हैं और न भारतीय स्वामियों को करने देते हैं। सरकार यह भूमि अपने अधिकार में ले सकती है और उद्योग को विकसित करने के लिए यह भारतीय उत्पादकों को दी जा सकती है। सरकार को इस मामले पर सावधानी से विचार करना चाहिए।

श्री पन्नूस: यह बात सब मानते हैं कि इस उद्योग पर विदेशियों, विशेषतया अंग्रेज़ पूंजीपतियों का कब्जा है। राष्ट्रीय हित में हमें आशा करनी चाहिए कि अब भारत सरकार इस उद्योग को अपने नियन्त्रण में ले लेगी। वर्तमान विधेयक इस दृष्टिकोण से बहुत असन्तोषजनक है। सरकार को इस उद्योग को विकसित करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिएं।

एक बात जो मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि ब्रिटिश पूंजीपति जो इस उद्योग को चलाते हैं उन पदों पर नियुक्त करने के लिए जिन पर भारतीय बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं, अपने देश से बहुत से आदमी ले आते हैं और उन्हें बड़े बड़े वेतन देते हैं। आप देखेंगे कि इस उद्योग में सब प्रकार के यूरोपियन हिन्दुस्तानियों पर शासन करते हैं। इन के वेतनों में भी बहुत अन्तर होता है। आप का निरीक्षण चाहे कितना ही सीमित क्यों न हो, अब आप को यह विभेद जारी नहीं रहने देना चाहिए।

मज़दूरों के मकानों की व्यवस्था की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। मैं ने अपने प्रदेश में बाग़ात का दौरा किया है परन्तु मुझे वह सुविधाएं कहीं नहीं दिखाई दीं, जिन का यहां वर्णन किया गया है। सरकार को श्रम की परिस्थिति, उन के लिए मकानों की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं के विषय में तत्काल जांच करनी चाहिए। चिकित्सा सुविधाओं की सब से अधिक उपेक्षा की गई है। बहुत से बाग़ात में तीसरी या चौथी पास लोग डाक्टर का काम कर रहे हैं। सरकार को इस मामले की भी जांच करनी चाहिए और बाग़ात में काम करने वाले लाखों को उचित चिकित्सा सुविधाएं देनी चाहिएं।

श्री ए० वी० टामस: मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। किन्तु मुझे एक बात पर आपत्ति है। चूंकि सरकार ने अपने हाथ में असीमित अधिकार ले लिए हैं, अतः अब उत्तरदायित्व भी उन लोगों पर जो अब तक इस उद्योग को चलाते हैं न रहते हुए सरकार के हाथों में आ जायगा। मैं आशा करता हूं कि यदि कोई असाधारण बात हो गई, तो सरकार उद्योग को दोष न देगी।

८० प्रतिशत उद्योग विदेशियों के हाथों में होने की चर्चा की गई थी। मैं नहीं समझ सकता

[श्री ए० वी० टामस]

कि इस से भारतीय स्वामियों के हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है ? मैं तो चाहता हूं कि उद्योग शत प्रतिशत हमारे हाथों में हो । किन्तु इस के लिए उपाय क्या हैं? यह नीति का मामला है और इस पर सरकार ही विचार कर सकती है । मालिकों के हितों का ध्यान रखने वाले आदमियों के वेतनों तथा भत्तों की ओर भी निर्देश किया गया है । मैं समझता हूं कि जीवन की हर अवस्था पर वेतनों में अन्तर होता है । इसलिए इस विषय में तुलना करना ठीक नहीं है ।

श्रम के बारे में कहा गया है कि उन के निवास स्थान, चिकित्सा सुविधाओं आदि में सुधार किया जायगा । किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि चिकित्सा तथा घरों की वर्तमान सुविधाएं उन सुविधाओं से जो सामान्यतया नागरिक क्षेत्रों में या अन्य स्थानों पर उसी प्रकार के श्रम को दी जाती हैं, बहुत अच्छी हैं । हमारे श्रमिकों को काफ़ी अच्छे मकान दिये गये हैं। यदि कोई देखना चाहे तो बाग़ात में जा कर देख सकता है ।

हमें जिन कठिनाइयों का सामना है वे उन कारणों से उत्पन्न नहीं हुईं जो विधेयक में बतलाये गये हैं, बल्कि विश्व मंडी में मन्दी होने के कारण उत्पन्न हुई हैं । अब जब कि सरकार बीच में आ गई है, उद्योग उस से सहायता की आशा करता है । जहां तक हमारा सम्बन्ध हम निस्संकोच अपना सहयोग देंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : सरकार ने सारे उद्योग को अपने नियन्त्रण में ले लिया है और अब सारा उत्तरदायित्व भी सरकार पर है । इस लिए मैं समझता हूं कि भारत में पैदा की गई चाय को कलकत्ता में इकट्ठा करने के लिए सरकार को उचित स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सरकार को तथा जनता को विदेशी विनिमय का पूरा लाभ प्राप्त हो सके । सरकार ने कलकत्ता में गुदाम बनाने शुरू किये थे किन्तु स्थान अब तक काफ़ी नहीं है । मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा क्यों कि यदि ऐसा न किया गया तो उद्योग नष्ट हो जायेगा ।

श्री करमरकर : चूंकि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने इस विषय पर बहुत कुछ कहा है अतः मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा । सरकार ने इस प्रकार के बड़े उद्योगों को अपने अधीन लेने के लिये अधिकार प्राप्त कर लिया है । हम इस उद्योग के सम्बन्ध में होने वाली बातों को बहुत ध्यान से देख रहे थे और हम ने यह समझा कि इस उद्योग को अपने नियंत्रण में लेने का यह उचित अवसर है । विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने सरकार के इस विधेयक के अन्तर्गत उद्योग को अपने अधीन लेने के अधिकार का विरोध किया । जो कुछ हम ने किया है उस से इस सदन का नियंत्रण बढ़ गया है । पहिले की अपेक्षा अब संसद् अधिक अच्छी प्रकार से इस उद्योग का पथ प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि अब की अपेक्षा चाय बोर्ड अधिकतर अपने कार्यों के लिये ही उत्तरदायी था । चाय ऐसी चीज़ है जो विदेशी बाज़ारों में बेची जाती है और विदेशी बाज़ारों के उतार चढ़ाव का हमारी चाय की मांग पर बहुत प्रभाव पड़ा । यदि काफ़ी समय तक चाय में तेजी हो गई थी तो गत वर्ष इस के दाम गिर गये थे । मैं समझता हूं कि इस विधेयक के अन्तर्गत इस उद्योग को अपने नियंत्रण में लेने के लिये हम ने जो अधिकार लिये हैं वे कुछ समय के लिये पर्याप्त हैं । और यदि कभी ऐसा अवसर आया जब कि अधिक अधिकार लेना अथवा उद्योग को अपने अधीन ले लेना उपयुक्त होगा तो सरकार उस के लिये सदन में विधान प्रस्तुत करने में

संकोच नहीं करेगी। यदि माननीय सदस्यों ने उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य सुना होगा तो वे समझ सकते हैं कि किन चीज़ों को हम सारभूत समझते हैं और किन उद्योगों का हम राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं और किन उद्योगों को हम अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं।

एक और माननीय सदस्य ने कहा कि उन्हें कुछ उपयोगी सुझाव देने हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अनुसन्धान कार्य के विषय में कुछ करना चाहिये। सरकार को उद्योग के सब पहलुओं का अध्ययन करना चाहिये। यह ठीक है और इस में मतभेद नहीं हो सकता। मज़दूरों के विषय में भी यह बात है कि सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहती जिस से मज़दूरों को किसी प्रकार की हानि हो। इस बात का भी प्रयत्न किया गया कि इस विधेयक में मज़दूरों के कल्याण के सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध रखे जायें। इसके लिये उचित तरीका तो यह होगा कि मज़दूरों के कल्याण सम्बन्धी उपबन्ध श्रम सम्बन्धी कानूनों में रखे जायें न कि इस विधेयक में, जिस का सम्बन्ध चाय उद्योग के विकास से है। इस उद्योग के प्रबन्ध तथा विकास की दृष्टि से सरकार का तथा हम सब का यह कर्तव्य है कि हम इस राष्ट्रीय उद्योग की उन्नति के विषय में चोसें और कार्य करें।

मेरे मित्र श्री दामोदर मेनन कुछ निराश हैं। उन्होंने वही पुरानी बात कही कि राजनैतिक रूप से तो यह देश स्वतंत्र है किन्तु आर्थिक मामलों में यह दूसरों के सहारे है। उन्होंने इस देश के उद्योगों में विदशी स्वत्व का निर्देश किया। वह यह चाहते हैं कि यह राष्ट्रीय सरकार इस सदन की सहायता से सभी विदेशी स्वत्वों को समाप्त कर दे। विदेशियों ने ही इस उद्योग का विकास किया और इस की उन्नति की। यदि यह उद्योग और इस का स्वामित्व भारतीयों के हाथ में आ जाये तो हमें प्रसन्नता होगी। हमें इस प्रश्न पर व्यापक रूप से विचार करना चाहिये। और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिस से हमारे राष्ट्रीय हित को हानि हो।

श्री टॉमस इस कारण निराश थे कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यहां उपस्थित नहीं थे। मुझे विश्वास है कि यदि मेरे माननीय सहकारी यहां होते तो उन को यह जान कर बहुत प्रसन्नता होती कि इस विधेयक को, जब से उन्हों ने कार्यभार लिया, सब का समर्थन मिलता रहा। उन को इस बात की बहुत चिन्ता थी कि ये सब प्लांटेशन उद्योग समुचित स्तर पर लाये जायें। इस विधेयक से ही मालूम पड़ता है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री इस मामले में किस प्रकार रुचि लेते रहे हैं।

मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। हमें यह देख कर खुशी है कि जो सदस्य इस से प्रसन्न नहीं थे और जो इस से निराश हो गय, वे भी यह आशा करते हैं कि यह उद्योग एक बड़े राष्ट्रीय परिसम्पत के रूप में होगा और हम यह चाहते हैं कि इस उद्योग का समुचित प्रकार से विकास हो जिस से उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा मज़दूरों को लाभ हो।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

विंध्य प्रदेश विधान-सभा (अनर्हता निवारण) विधेयक

श्री पुन्नूस: यह विधेयक कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखी गयी सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था। इस विधेयक

[श्री पुन्नूस]

के बारे में कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति के कई सदस्यों ने विरोध किया था और हमें बताया गया था कि यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जायगा। इसे एक बार कार्यक्रम परामर्श-दात्री समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देने के बाद म समझता हूं यह उचित ही था कि इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व समिति से परामर्श ले लिया जाता।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उस से मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात विशेष रूप से तय नहीं हुई थी कि इस विधेयक पर विचार नहीं किया जायगा। और जब ऐसी बात तय नहीं हुई तो मैं नहीं जानता कि वह ऐसी धारणा क्यों बनाते हैं कि इस विधेयक पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : कार्यक्रम परामर्शदात्री की बैठक में मैं भी सम्मिलित था। उसमें यह निश्चय किया गया था कि बड़े विधेयक ही प्रस्तुत किये जायें और उन विधेयकों की चर्चा के लिये कुछ दिन नियत किये। सरकार ने कहा था कि जब सदन में कोई विधेयक प्रस्तुत न होगा और विधेयक पर समय से पूर्व चर्चा समाप्त हो जायेगी तो कुछ छोटे विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे। विंध्य प्रदेश विधान सभा (अनर्हता निवारण) विधेयक के इस सत्र में प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में हम ने विरोध प्रकट किया था। कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति की भी यह राय थी कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इसे सदन में प्रस्तुत नहीं करना चाहिये।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति में जो कुछ हुआ उसे यहां गलत रूप में बताया गया है। यह ठीक है कि समिति के कुछ सदस्य इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के विरुद्ध थे।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

किन्तु उस समय भी माननीय संसद् कार्य मंत्री तथा सरकारी प्रवक्ताओं ने अपनी यह सम्मति व्यक्त की थी कि इस विधेयक पर इसी सत्र में विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैं उस बैठक में उपस्थित था। तारीख १७ अप्रल १९५३ की संसदीय बुलेटिन में यह दिया हुआ है :

> "समिति को यह सूचित किया गया कि सरकार यह समझती है कि वर्तमान सत्र के समाप्त होने से पूर्व निम्नलिखित १५ विधेयकों को पारित कर देना चाहिये . . .।"

और जो सूची दी गई थी उसमें विंध्य प्रदेश विधान सभा (अन्तर्हता निवारण) विधेयक की संख्या ७ थी। बुलेटिन में निर्दिष्ट विधेयकों की चर्चा के कार्यक्रम के सम्बन्ध में हम सब सहमत थे। इस विशेष विधेयक के सम्बन्ध में यह निश्चय हुआ कि यदि यह प्रस्तुत किया जा सके तो प्रस्तुत किया जा सकता है। हमने इसके लिये कोई विशेष समय निश्चित नहीं किया था। कुछ माननीय सदस्यों ने वहां विरोध किया था। अतः यदि हम इसके लिये समय निकाल सकते हैं और इसे पारित कर सकते हैं तो इस पर विचार करने से सदन को कोई नहीं रोक सकता। जिन विधेयकों के लिये समय निश्चित किया जा चुका था उनके अतिरिक्त विधेयकों के लिये हम ने समय निश्चित नहीं किया था। इसका यह मतलब नहीं कि यह विधेयक आज प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह बात माननीय सदस्यों की इच्छा पर निर्भर है कि वह इसका विरोध करें। इसका यह अर्थ नहीं कि हम इस पर विचार नहीं कर सकते।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस विशेष परिपत्र के सदस्यों को दिये जाने पर अन्य दलों के सदस्यों ने भी इस पर आपत्ति की थी कि कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति इस बात पर सहमत नहीं हुई थी कि इन विधेयकों पर इसी सत्र में विचार किया जाय। सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था कि कोई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जायगा। कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति की बैठक में विभिन्न दलों के सदस्यों तथा कांग्रस के कुछ सदस्यों ने इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने सन्देह प्रकट किये, क्योंकि इसमें बड़ी संवैधानिक महत्व की बातें हैं। हम समझते थे कि सरकार इस सत्र के अन्त में प्रस्तुत नहीं करेगी और इसके मामले में जल्दी नहीं करेगी।

प्रधान मंत्री तथा सदन के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य ने वह बात कही जो मैंने किसी पिछले मौके पर कही। मैं नहीं समझता कि वह यहां कैसे प्रसंगानुकूल है क्योंकि इसे महत्वपूर्ण विधेयकों में सम्मिलित किया गया था। इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय सदस्य के अपने विचार हो सकते हैं जो कि हम से भिन्न हों। माननीय सदस्य को कानून का अध्ययन बड़े ध्यान पूर्वक करना चाहिये क्योंकि इस पर वैधानिक दृष्टि से विचार किया जाना है। हम समझते हैं कि कानून इस विषय में स्पष्ट है। मैं नहीं समझ पाता कि यदि कुछ सदस्यों को इस के विषय में सन्देह है और बहुत अधिक सदस्यों को कोई सन्देह नहीं तो इस विधेयक पर विचार क्यों न किया जाय।

श्री पुन्नूस : मैं समझता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री स्थिति को स्पष्ट नहीं समझ सके हैं। हम ने तो यह कहा था कि यह विधेयक कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति के सामने आया था और वहां यह तय हुआ था कि यह स्तुत नहीं किया जायगा।

श्री पी० टी० चाको : ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी।

श्री पुन्नूस : उस समय यह नहीं कहा गया था कि यह विधेयक महत्वपूर्ण और आवश्यक है और इसे शीघ्र ही पारित कर दिया जाय। श्रीमान् जी, आप उस बैठक में उपस्थित नहीं थे, माननीय अध्यक्ष महोदय उपस्थित थे। उन्होंने इसके विरोध में यह कहा था कि इसे सदन में प्रस्तुत नहीं करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अधिक तर्क की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम मंत्रणा समिति में सरकार ने इस विधेयक को इसी सत्र में पारित किए जाने की चिन्ता प्रगट की थी। माननीय सदस्य कार्यक्रम समिति के महत्व को नहीं समझते। जब सदन के सामने कई एक विधेयक रखे जाने हों तथा सरकार किसी विधेयक को शीघ्रता से पारित कराना चाहे तो स्वभावतः हम कार्यक्रम समिति की बैठक बुलाते हैं ताकि विभिन्न दलों के नेताओं के परामर्श से हम प्रत्येक विधेयक के लिए अपेक्षित समय को निश्चित कर सकें। इसके बाद अध्यक्ष या सभापति प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वाचन के लिए समय निश्चित करते हैं।

इस विधेयक को छोड़ देने का कभी विचार नहीं किया गया था। वास्तव में २ मई, १९५३ के 'बुलेटिन' में इसे मद संख्या ८ पर रखा गया था। कार्यक्रम समिति में सरकार जहां इसे पारित कराने के लिए चिन्तित थी, वहां कुछ सदस्य इसके विरोध में थे--यह ठीक है कि उनके विरोध का आधार कोई सिद्धान्त था। फिर भी यह कभी नहीं कहा गया कि इस विधेयक पर विचार ही न किया जाय। किसी विधेयक के सम्बन्ध में विधेयक समिति केवल इतना ही कह सकती है कि इस पर इतना समय लगाया जाय। अन्तिम निर्णय

[उपाध्यक्ष महोदय]

सदन के हाथ में रहता है जिस के बाद कार्यक्रम के अनुसार चलना पड़ता है।

सरकार सब काम छोड़ किसी भी महत्वपूर्ण विधेयक को किसी भी समय प्रस्तुत कर सकती है। अध्यक्ष महोदय बिना किसी आश्चर्य के काफ़ी समय की व्यवस्था करते हैं। यह विशेष विधेयक काफ़ी समय से क्रम पत्र पर रहा है। माननीय सदस्य विरोध प्रकट कर सकते हैं, परन्तु मैं इस पर चर्चा की अनुमति देता हूं।

गृह-कार्य तथा राज्य-मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "कुछ लाभ के पदों पर नियुक्त होने के कारण इस प्रकार से नियुक्त व्यक्तियों का विन्ध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के सदस्य चुने जाने या होने के बारे में अनर्हीकरण न करने की घोषणा के हेतु विधेयक पर विचार किया जाये।"

मुझे विदित है कि इस सम्बन्ध में बहुत विवाद उठ खड़ा हुआ है।

श्री च० न० मुकर्जी : श्रीमान, एक औचित्य प्रश्न के हेतु, मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक के खण्ड ४ में विन्ध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के कुछ सदस्यों की ओर निर्देश है जिनके नाम विधेयक से संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं। इन व्यक्तियों के बारे में राष्ट्रपति ने ३१ मार्च, १९५३ को एक आदेश जारी किया था जिसमें इन व्यक्तियों की अनर्हता की अधिसूचना दी गई थी। विन्ध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष महोदय ने इस आदेश को सभा में पढ़ कर सुनाया था जो अवश्य ही ३१ मार्च से कुछ दिन बाद पढ़ा गया होगा। मेरा निवेदन है कि अब ये व्यक्ति वहां की विधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इस विधेयक में कुछ व्यक्तियों को विन्ध्य प्रदेश की विधान सभा के सदस्य न होते हुए भी अनुदर्शी प्रभाव से सदस्य बनाने की चेष्टा की गई है; अतएव यह नियमानुसार नहीं है।

डा० काटजू : वास्तव में यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है क्योंकि स्वयं विधेयक का विषय ही यही है। विधेयक के खण्ड ३ में लिखा है कि "घोषणा की जाती है कि ज़िला मंत्रणा परिषद् की सदस्यता के पद के पदधारी होने से विन्ध्य प्रदेश की विधान सभा के सदस्य चुने जाने या होने के बारे में अनर्हीकरण नहीं होगा तथा न ही पहले कभी हुआ समझा जायगा।"

खण्ड ४ में लिखा है कि "जहां तक मंत्रणा परिषद् के सदस्य होने के कारण १२ सदस्यों का नाम लेकर अनर्हीकरण होने की घोषणा का सम्बन्ध है, अब उन्हें विन्ध्य प्रदेश राज्य के विधिवत अर्हता-प्राप्त सदस्य होने की घोषणा करने का उद्देश्य है"।

सदन को अधिकार है कि इस विधेयक को पारित करे या न करे, परन्तु इसमें सदन की क्षमता का कोई औचित्य प्रश्न नहीं आता।

जब मैं विधेयक के गुणावगुणों की चर्चा करूंगा तथा जब सदन—यदि इसकी इच्छा हो—महान्यायवादी का भाषण सुनेगा, तो इस बात का काफ़ी प्रमाण पेश किया जा सकेगा कि इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है तथा एकमात्र सर्वोतम वैधानिक कार्यवाही वही है जो हम कर रहे हैं।

यह औचित्य प्रश्न की बात नहीं, बल्कि स्वयं विधेयक के मूल विषय की बात है।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : यदि आप खण्ड (३) को अनुच्छेद १०१ तथा अनुच्छेद १०२ के साथ मिला कर पढ़ें तो पता चल जाता है कि संसद् के दोनों सदनों के किसी

सदस्य पर अनुच्छेद १०२ के खण्ड (१) में वर्णित किसी अनर्हता के लागू होने से वह तत्काल उस सदन का सदस्य हट जाता है तथा उसका स्थान खाली हो जाता है। इस स्थान को भरने की केवल एक ही व्यवस्था यह की गई है कि इसे चुनाव द्वारा भरा जा सकता है। अतएव समय के विचार से, राष्ट्रपति की घोषणा के बाद वे स्थान खाली हो जाते हैं। फिर हम इस प्रकार का विधान कैसे ला सकते हैं जिसमें संविधान के अनुच्छेद का ही उल्लंघन किया गया हो। मेरा निवेदन है कि हम इस विधेयक पर चर्चा नहीं कर सकते तथा मैं नहीं जानता कि महान्यायवादी को बीच में क्यों लाया गया है।

डा० काटजू : संविधान के ये विशेष अनुच्छेद भाग (ग) राज्यों पर लागू नहीं होते हैं। भाग (ग) राज्य इस विधान का विषय है। भाग (ग) राज्य प्रशासन अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ४९ वां अधिनियम) तथा यह मामला उक्त अधिनियम की १६ वीं तथा १७ वीं धाराओं के अन्तर्गत आते हैं। अधिनियम के पूर्व रूप के अनुसार, यह बात राष्ट्रपति पर छोड़ दी गई थी कि मतभेद की अवस्था में अनर्हता या अर्हता के बारे में निर्णय दे। परन्तु राष्ट्रपति ने अधिनियम की धारा ४३ के अन्तर्गत आदेश जारी कर के इस कठिनाई को दूर कर दिया। उस आदेश में लिखा गया कि मामले को निर्वाचन आयोग को सौंपा जाय तथा राष्ट्रपति उक्त आयोग के परामर्श से फैसला करेंगे। मेरे मित्र ने संविधान के जिन अनुच्छेदों को पढ़ा है, वे भाग (क) तथा भाग (ख) राज्यों से सम्बन्ध रखते हैं। भाग (ग) राज्यों का प्रशासन तो संसद् के अधिनियम से चलता है तथा संसद् उस अधिनियम में कोई भी संशोधन आदि कर सकती है। अतः इससे संविधान में किसी संशोधन आदि का सवाल नहीं उठता है।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : जहां तक भाग (ग) राज्यों से सम्बन्धित अधिनियम का सम्बन्ध है, वास्तव में अनुच्छेद संख्या १०२ तथा १०३ को उस अधिनियम का भाग बना दिया गया है। परन्तु उक्त अधिनियम की धारा १७ में एक वाक्य है जो अनुच्छेद १०२ या अनुच्छेद १०३ में नहीं है। धारा १७ इस प्रकार से है :

> "यदि कोई सदस्य कुछ समय के लिए किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य चुने जाने या होने से अनर्हत हो जाता है तो उसे अनर्हत समझा जायगा।"

इसमें 'कुछ समय तक' का वाक्य प्रयुक्त हुआ है। यह वाक्य संविधान के अनुच्छेद १०२ या १०३ में नहीं है। यहां रखे गए अनुच्छेद १०२ में 'कुछ समय तक' शब्द जोड़े गए हैं। अतएव यह अनर्हता उसी समय के लिये समझी जायगी जब यह विद्यमान थी या ऐसा समझा गया था। अब हम इस विधान को पारित नहीं कर सकते जैसे कि यह वाक्य उसमें था ही नहीं। अतएव यह विधेयक अनियमित है।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद १०२ के अन्तर्गत कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने अथवा होने से अनर्हत हो जाता है। कल्पना कीजिये कि राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद १०१, १०२ तथा १०३ को भाग (ग) राज्यों पर लागू कर दिया जाता है तो अनुच्छेद १०२ में सदस्य चुने जाने अथवा होने के बारे में अनर्हताओं का वर्णन है। उपखण्ड (क) में कहा गया है :

> "यदि वह भारत सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर नियुक्त है जिसे संसद् द्वारा उसे अनर्हत करने वाला घोषित नहीं किया गया"

[उपाध्यक्ष महोदय]

इस विधान में ऐसी घोषणा करने की चेष्टा की गई है जिस से ज़िला परिषद् के सदस्य होने के कारण सदस्य बने रहने से अनर्हत न हो सके। यदि यह विधान राष्ट्रपति के आदेश से पहले पारित हो जाता तो वे बिना किसी रुकावट के उस विधान सभा के सदस्य बने रहते। एकमात्र अन्तर यह है कि इसे राष्ट्रपति के आदेश के बाद लाया जा रहा है। माननीय सदस्यों को पता है कि संसद् भूतलक्षी तथा भविष्यलक्षी दोनों प्रकार के विधान बना सकती है। अतएव सदन के मार्ग में ऐसा करने की कोई रुकावट नहीं है कि वह किसी पद को पहले कभी लाभ का पद न होने की घोषणा न कर सके। हम कुछ समय के लिए कल्पना कर सकते हैं कि राष्ट्रपति का आदेश विद्यमान नहीं है। इसके बिना आप वास्तव में उस विधि तक पहुंच जायेंगे तथा बिना किसी अवकाश के वे सदस्य बने रहेंगे। इस बात के दृष्टिगोचर राष्ट्रपति का आदेश निष्प्रभाव हो जायगा कि वे उसी काल से सदस्य चले आते हैं तथा सदस्य बने रहने के पूर्ण योग्य अथवा अर्हता-प्राप्त चले आते हैं। जिस आधार पर हम इस कार्यवाही को कर रहे हैं, वह आदेश पूर्णतः बेकार हो जाता है। अब यह उपबन्ध खण्ड ४ में भी रखा गया है।

सर्वोपरि, माननीय सदस्यों को विदित है कि यह मामला विषय की जड़ तक पहुंचता है तथा विधेयक का वास्तविक ध्येय है। जैसा कि माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा, यदि किसी विधेयक सम्बन्धी कार्यवाही को चालू करने पर ही आपत्ति की गई तो विधेयक का वास्तविक उद्देश्य ही जाता रहेगा। इन सब मामलों में ऐसे औचित्य प्रश्न के सांवैधानिक अथवा असांवैधानिक होने का उत्तरदायित्व अपने पर कभी नहीं लिया है। सदन को विधेयक के अस्वीकार अथवा स्वीकार करने में इस बात को भी विचार में रखना चाहिये।

सदन का माना हुआ व्यवहार यह है कि अध्यक्ष के इस प्रकार के औचित्य प्रश्न के फैसला का उत्तरदायित्व कभी अपने पर नहीं लिया है कि सदन को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इसका फैसला करना सदन का अपना उत्तरदायित्व है। ऐसी परिस्थिति में इस औचित्य प्रश्न पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री के० के० बसु : मेरा निवेदन है कि अग्रेतर कार्यवाही करने से पहले मेरे औचित्य प्रश्न का निर्णय हो।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस पर बोलने का अवसर मिलेगा। न ही महान्यायवादी को इस अवसर पर अपनी टिप्पणी देने की कोई आवश्यकता है। मैं उचित अवसर आने पर उन्हे बुलाऊंगा। वास्तव में यह सरकार का काम है कि आवश्यकता पड़ने पर वह उसे चर्चा में भाग लेने के लिए कहे। मैं इस क्रम पर इस बारे में सदन का मत लेने के लिए भी तैयार नहीं हूं।

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरा विश्वास है कि यह विधेयक संविधान के अन्तगत नहीं है तथा संविधान के आज्ञापक उपबन्धों का उल्लघन करता है। यह अच्छा होगा यदि हम अपनी सिफारिशें माननीय गृह-कार्य मंत्री के भाषण के बाद प्रस्तुत करें तथा उनके बाद महान्यायवादी अपना वक्तव्य दे लें।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां। माननीय सदस्यों को पता है कि यह विचार का क्रम है जिसके बाद प्रत्येक खण्ड पर अलग विचार होगा। इसके बाद विधेयक का तीसरा वाचन होगा तथा बाद में गृह-कार्य मंत्री अपना भाषण देंगे। उस समय मामला उनके सामने

रखा जायगा । चर्चा आरम्भ हो जाने पर उपयुक्त समय पर महान्यायवादी––सरकार की इच्छा होने पर––अपने विचार प्रगट कर सकेंगे ।

डा० काटजू : वास्तव में हुआ यह कि २६ अप्रैल, १९५२ को विन्ध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक प्रशासन के हित में एक आदेश निकाला जिसके अनुसार उन्होंने विन्ध्य प्रदेश के आठ ज़िलों में से प्रत्येक के लिए एक ज़िला मंत्रणा परिषद् की स्थापना की घोषणा की । उक्त परिषद् में विभिन्न विभागों के स्थानीय अधिकारियों, ज़िला अधिकारी तथा उस ज़िले का विधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को लिया गया । बिना इस बात का विचार किए कि किसी सदस्य का किस दल विशेष से सम्बन्ध है, ज़िले से निर्वाचित सभी सदस्यों को उन परिषदों में लिया गया । इस के अतिरिक्त उप-राज्यपाल के पांच मनोनीत असरकारी सदस्य भी प्रत्येक परिषद् में लिए गए । विस्तार से कहते हुए इस परिषद् का कृत्य पहले मास के काम की जांच पड़ताल करना था । इसके लिए उसकी प्रत्येक मास में एक बार बैठक होती थी तथा ज़िले से सम्बन्धित तथा अन्य सामान्य प्रश्नों के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत की जाती थीं । उनका काम केवल परामर्श का देना था तथा उन्हें कार्यकारिणी की कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी । सरकारी सदस्यों को उनके सामान्य भत्ते दिये जाते थे । असरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा बैठक के दिनों के लिये विधान सभा के सदस्यों को मिलने वाले प्रति दिन के भत्ते के आधार पर भत्ता दिया जाता था ।

जब इस परिषद् की बैठक आरम्भ हुई तो जहां बहुत से सदस्य उपस्थित होते थे, वहां बहुत से अनुपस्थित भी रहते थे । विधान सभा में पांच मंत्री तथा एक अध्यक्ष महोदय हैं । विधान सभा के तीन सदस्यों न यथाविधि सदस्यता से इंकार कर दिया तथा न ही आठ सदस्यों ने स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रकट की और न ही वे किसी बठक में उपस्थित हुए । पन्द्रह सदस्य बैठकों में उपस्थित हुए तथा उन्होंने यात्रा भत्ता तथा ठहरने के भत्ते आदि वसूल किए । २७ सज्जनों ने ऐसा नहीं किया । सदन को विदित है ठहरने के दिनों के सम्बन्ध में पांच रु० प्रति दिन की दर पर भत्ता दिया जाता था ।

३० अक्तूबर, १९५२ को राष्ट्रपति को विंध्य प्रदेश विधान-सभा के एक सदस्य से एक अभिवेदन प्राप्त हुआ था जिस में यह कहा गया था कि विन्ध्य प्रदेश द्वारा बनाई गई परिषदों की सदस्यता लाभ का पद है, अतः इस से सभी सदस्य अनर्ह हो गये हैं क्योंकि कार्यपालक आदेश द्वारा सदस्यों में परस्पर कोई भेद नहीं किया गया है । इस अभिवेदन के प्राप्त होने के समय विन्ध्य प्रदेश एक भाग ग में का राज्य था; अतः हम ने भाग ग राज्य सरकार अधिनियम को देखा । उस से यह पता लगा कि जिस सीमा तक यह निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाला अर्ध-न्यायिक मामला था, उसे राष्ट्रपति के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया था । हम ने सोचा कि संसद् के सम्बन्ध में तथा भाग क तथा भाग ख में के राज्यों के सम्बन्ध में संविधान के उपबन्ध इस विषय में अच्छे दृष्टान्त हैं; अतएव राष्ट्रपति ने एक आदेश प्रख्यापित किया जिस में यह कहा गया कि भाग ग राज्य सरकार अधिनियम के भाग के रूप म, किसी अमुक सदस्य की अनर्हता से सम्बन्ध रखने वाले तथा उससे उत्पन्न होने वाले सब प्रश्नों का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जायगा परन्तु किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग की राय लेंगे तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेंगे । संविधान के अनुच्छेद १०३ और अनुच्छेद १०२ का यही

[डा० काटजू]

सार है। मैं इस बात पर इसी लिये ज़ोर डाल रहा हूं क्योंकि वादविवाद के दौरान में हमारे ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहा गया है। यह कहा गया है कि हम राष्ट्रपति के आदेश का अपमान कर रहे हैं। परन्तु मैं कहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। स्वयं राष्ट्रपति के आदेश में तथा संविधान में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग की राय के अनुसार कार्य करेंगे। निर्वाचन-आयोग ठीक राय देता है या ग़लत, यह तो दूसरी बात है।

राष्ट्रपति का उक्त आदेश १४ जनवरी, १९५३ को प्रख्यापित किया गया और वह भाग ग राज्य सरकार अधिनियम का अंग बन गया। तदुपरान्त, राष्ट्रपति ने यह मामला औपचारिक रूप से निर्वाचन-आयोग को सौंप दिया और निर्वाचन-आयोग ने अपने २ मार्च, १९५३ के प्रतिवेदन द्वारा यह राय दी कि १२ सदस्य अनर्ह हो गये हैं। मैं निर्वाचन-आयोग के निर्णय पर राय तो नहीं दे रहा हूं, परन्तु निर्वाचन-आयुक्त ने अपना फैसला इस प्रकार दिया। उन्हों ने कहा कि परिषद् की सदस्यता एक पद है क्योंकि य नियुक्तियां कार्यपालिका सरकार द्वारा की गई हैं। उन्हों ने कहा कि यह कार्यपालिका सरकार के अधीन एक पद है क्योंकि सरकार यदि चाहे तो उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकती है और उस दशा म कोई भी सदस्य कार्यपालिका परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह लाभ का पद है ? उन्हों ने कहा : "यह एक बहुत छोटी सी रकम है। एक सदस्य मुफस्सिल क्षेत्रों से ज़िला हैडक्वार्टर जाता है तो उसे आने जाने पर भी कुछ व्यय करना ही पड़ता है। उस के मामले में लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतः उन्हों ने विधान सभा के प्रत्येक ऐसे सदस्य को तो छोड़ दिया जो ज़िला हैडक्वार्टर का, जहां कि ज़िला मंत्रणा परिषद् की बैठक होगी, निवासी नहीं था। परन्तु १२ सदस्य ऐसे थे जो ज़िला हैडक्वार्टर के ही रहने वाले थे। वे यात्रा-भत्ता तो नहीं लेते थे, परन्तु ५ रुपये दैनिक-भत्ता ज़रूर लेते थे। उन के विषय में यह कहा गया कि बैठक के स्थान तक पहुंचने के लिये उन्हें कुछ दाम किराये आदि में तो अवश्य खर्च करने पड़ेंगे, परन्तु फिर भी उन के पास कुछ न कुछ बच ही जायेगा। अतः निर्वाचन-आयुक्त ने यह राय ज़ाहिर की कि "निवासी सदस्यों" को अनर्ह घोषित कर दिया जाये क्योंकि वे लाभ के पदधारण करे हुए हैं।

जैसा कि मैं ने पहले कहा, यह राय २ मार्च को प्राप्त हुई थी। फिर सरकार को सारी स्थिति पर विचार करना पड़ा। विन्ध्य प्रदेश की सरकार ने यह अभिवेदन भेजा कि आदेश जारी करने से पूर्व उस ने वैध परामर्श ले लिया था। उन्हें यह परामर्श दिया गया था कि इन परिस्थितियों में लाभ का पद धारण करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विन्ध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि यदि इस विषय में कुछ नहीं किया गया तो इस से विधान-सभा के राजनैतिक जीवन को भारी धक्का पहुंचने की सम्भावना है। उस पर हमने भी वैध परामर्श लिया। महान्यायवादी (ऐटर्नी जनरल) भारत सरकार का वैध परामर्शदाता होता है, चाहे सरकार कोई सी भी हो। उस का सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। उ हों ने हमें बतलाया कि यह एक बहुत साधारण सी बात है। उन्हों ने निर्वाचन-आयोग की राय पर कुछ न कहते हुए कहा : "जो कुछ किया गया है, सद्-भावना के साथ ही किया गया है।" "हाउस आफ़ कामन्स" में भी ऐसे मामले हुए हैं, जिन में "हाउस आफ कामन्स" ने ऐसी ही परिस्थितियों म हस्तक्षेप किया और विधि बनाई, जिस के

द्वारा यह घोषित किया गया कि सम्बन्धित सदस्य अनर्ह नहीं है और न ही उसे कभी अनर्ह घोषित किया गया था।

तब यह प्रश्न उठा कि सरकार इस में हस्तक्षेप कब करे और संसद् से इस सम्बन्ध में विधान पारित करने के लिये कब कहा जाये। हमें वैध परामर्श यह दिया गया कि राष्ट्रपति पहले तो औपचारिक रूप से यह आदेश प्रख्यापित कर दें कि निर्वाचन-आयोग से प्राप्त राय के अनुसार सम्बन्धित सदस्य अनर्ह हो गये हैं--क्योंकि नियमों के तथा भाग ग राज्य सरकार अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग की राय के अनुसार कार्य करने को बाध्य हैं--फिर, जब राष्ट्रपति यह औपचारिक आदेश निर्गमित कर चुके, तो संसद् हस्तक्षेप करे और आवश्यक विधान पारित करे। इस विधान के राष्ट्रपति के आदेश के बाद प्रस्तुत किये जाने का एक-मात्र कारण यही है; अन्यथा हम यह विधेयक पहले ही प्रस्तुत कर देते। वैध स्थिति यही थी कि राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग द्वारा दी गई राय के अनुसार कार्य करने को बाध्य थे। फिर उस के पश्चात् संसद् सब लोगों से यह कहती है : "यह एक ग़लती हुई है। अब आप अपनी यह सम्मति व्यक्त करें कि ज़िला मंत्रणा परिषद् की सदस्यता को लाभ का पद न समझा जाये और किसी को केवल इसी कारण आज से या किसी अन्य दिन से अनर्ह न घोषित किया जाये कि वह ज़िला मंत्रणा परिषद् का सदस्य है।"

मैं इस बात पर ज़ोर इसलिये डाल रहा हूं क्योंकि एक संशोधन में यह मांग की गयी है कि यह अधिनियम उस तारीख़ से प्रवृत्त हो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित कर दी जाये। इस का अर्थ यह हुआ कि इस का भावी प्रभाव हो, भूतलक्षी नहीं। विन्ध्य प्रदेश की सरकार ने यह सोचा कि प्रशासन को लोकतन्त्रीय आधार पर चलाने के लिये वह किसी एक जिले से विधान-सभा के लिये चुने गये सब सदस्यों का परामर्श उस ज़िले के प्राधिकारियों को उपलब्ध करे। उस ने यह कदम अत्यन्त सद्भावना के साथ उठाया। ऐसी दशा में संसद् का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उन सब सदस्यों की सहायता करे। उन सदस्यों ने उस से कोई लाभ तो कमाया नहीं है। उन्हों ने किन्हीं शक्तियों का भी प्रयोग नहीं किया है। वस्तुतः यह परामर्श देने का कार्य था। क्योंकि निर्वाचन-आयोग ने "निवासी सदस्य" तथा "अनिवासी सदस्य" के बीच भेद कर दिया है। अतः हम ने यह उचित ही समझा कि हम उन सदस्यों की अनर्हता दूर करने के लिए कुछ करें।

इस विधान को भावी प्रभाव देने से भी काम नहीं चलेगा। विधेयक का असली इतिहास यह है। मैं ने आपको यह भी बतला दिया कि हमें वैध परामर्श क्या मिला है। मैं ने महान्यायवादी से यहां उपस्थित रहने का निवेदन किया है और यदि कोई माननीय सदस्य या सदन चाहे तो वह इस मामले के वैध पहलू पर प्रकाश डाल सकते हैं।

मैं इस बात को पुनः दुहराता हूं कि हम संविधान के अन्तर्गत आने वाले किन्हीं मोटे प्रश्नों पर विचार नहीं कर रहे हैं। जहां तक भाग ग में के राज्यों का सम्बन्ध है, उन पर केवल यह अधिनियम जो १९५१ में पारित हुआ था, बन्धनकारी है। अतः संसद् १९५१ के अधिनियम में अपनी इच्छानुसार रूपभेद, संशोधन या परिवर्तन कर सकती है। हां यदि अब कोई ऐसा प्रश्न किसी भाग क या भाग ख में के राज्य में उत्पन्न हो तब तो अवश्य आपने जो तर्क दिया है और संविधान के अनुच्छेद १०२ का जो निर्वचन किया है उस के पृष्ठ में पर्याप्त बल होगा और संसद्

[डा० काटजू]

को भी इस प्रकार के मामले में कतिपय प्राधिकार होंगे। मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि कुछ अन्य राज्यों ने भी ऐसी मंत्रणा परिषदें बनाई हों और सदस्यों से उन में कार्य करने के लिये कहा हो और किसी त्रुटि या गलत निर्वचन के कारण राज्य की राजनैतिक अर्थव्यवस्था के अस्तव्यस्त होने का खतरा हो।

उपाध्यक्ष महोदय: एक छोटी सी शंका रहती है। जहां तक कि विन्ध्य प्रदेश के सदस्यों का सम्बन्ध है, उन पर भाग ग राज्य सरकार अधिनियम, १९५१ लागू होता है। उस में धारा १७ सदस्यों की अनर्हता से सम्बन्ध रखती है। इस में कहा गया है कि अनर्हता अनुच्छेद १०२ के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के संसद् के किसी सदन के सदस्य होने पर लागू होगी। परन्तु अनुच्छेद १०३ भी है। यदि कोई प्रश्न उठता है तो विनिश्चय कौन करेगा ? इस विधेयक में इसका कोई उपबन्ध नहीं है।

डा० काटजू: इसकी व्यवस्था करने के लिए भाग ग राज्य सरकार अधिनियम १९५१ की धारा ४३ के अन्तर्गत.....

उपाध्यक्ष महोदय: राष्ट्रपति किन्हीं कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं।

डा० काटजू: तदुपरान्त, राष्ट्रपति ने १४ जनवरी को यह आदेश प्रख्यापित किया :

> "क्योंकि अब भाग ग रायज सरकार अधिनियम की धारा १६ तथा धारा १७ की उपधारा (२) के खंड(क़) के उपबन्धों को क्रियान्वित करन मकठिनाई उत्पन्न हो गई है, इसलिये राष्ट्रपति ने धारा ४३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश देने की कृपा की है।"

इस के बाद व्यवहारिक रूप से अनुच्छेद १०३ की भाषा का ही प्रयोग किया गया है, अर्थात, यदि कोई प्रश्न उठता है कि विधान सभा का कोई सदस्य किसी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा, और ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्र पति निर्वाचन-आयोग की राय लेंगे तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेंगे। राष्ट्रपति ने धारा ४३ के अन्तर्गत दिये गये इस आदेश के द्वारा कार्य किया है। अतः मेरा कहना यह है कि संसद् कोई संशोधन या परिवर्तन करने तथा इस विधेयक को पारित करने के लिये पूर्णतः सक्षम है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली): मैं सब से पहले यह पूछना चाहता हूं कि आप किस की अनर्हताओं को दूर करना चाहते हैं ? सम्बद्ध व्यक्ति विन्ध्य प्रदेश राज्य विधान सभा के सदस्य नहीं हैं और इसलिए अनर्हताओं का प्रश्न ही नहीं उठता। आखिरकार फिर इस विधेयक का उद्देश्य क्या है ?

भाग 'ग' राज्य सरकार अधिनियम की धारा १६ तथा १७ में ऐसे उपबन्ध हैं जो संविधान के अनुच्छेद १०१ तथा १०२ के तदनुरूप हैं। अनुच्छेद १०१ के अनुसार यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है तो ऐसा होने पर उस का स्थान रिक्त हो जायेगा। अनुच्छेद १०२ के खंड (१) के अनुसार कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य

की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है। संविधान के अन्तर्गत लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति अपने आप ही अनर्ह हो जाता है। यदि उन्हों ने लाभ के पद धारण कर रखे थे तो वे समस्त व्यक्ति सदस्य नहीं रहे।

परन्तु अधिनियम में एक कमी रह गई थी। उस में संविधान के अनुच्छेद १०३ के समान कोई उपबन्ध नहीं था। राष्ट्रपति ने उस कमी को विन्ध्य प्रदेश राज्य में एक आदेश जारी कर के पूरा कर दिया।

अब प्रश्न यह उठा कि वे सदस्य जिन्होंने जिला मंत्रणा समिति या परिषद् का सदस्य होना स्वीकार कर लिया था या सदस्य हो गये थे, अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वर्णित अनर्हता के भागी हो गये थे अथवा नहीं। राष्ट्रपति ने इस बात का निर्णय निर्वाचन-आयोग से परामर्श करके घोषित करने की इच्छा प्रगट की और उसका ऐसा करना ठीक भी था। निर्वाचन-आयुक्त ने पूरी जांच करने के पश्चात् यह निर्णय किया कि १२ सदस्य, जो ज़िले के सदर मुकाम के रहने वाले थे उन्होंने विन्ध्य प्रदेश सरकार के अधीन लाभ के पद धारण किये और इस लिये वे अनर्ह हो गये। राष्ट्रपति ने निर्वाचन-आयुक्त की सलाह को मानते हुए उक्त १२ सदस्यों को विन्ध्य प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से हटा दिया।

डा० काटजू ने अपने भाषण में इस मामले को 'मामूली' मामला कह कर टालने की कोशिश की है। परन्तु उन का ऐसा करना प्रजातन्त्र के लिए घातक सिद्ध होगा। आप ने जो विधेयक इस समय प्रस्तुत किया है वह इसीलिए, क्योंकि वे सदस्य कांग्रेस जन हैं। यदि वे किसी अन्य दल के होते तो क्या आप इस तरह राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करते, निर्वाचन-आयोग के निर्णय को ठुकरा देते——कदापि नहीं। यह सब तो इसलिए है क्योंकि इस समय कांग्रेस सत्तारूढ़ है।

निर्वाचन-आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि यह 'मामूली' मामला नहीं है। यह संविधान में वर्णित सिद्धान्तों का सवाल है। यदि आप वर्तमान सरकार को इस प्रकार पद आदि का लालच दे कर विधान सभाओं के सदस्यों को अपनी ओर मिला लेने देते हैं तो वे सदस्य निष्पक्षता से काम न कर सकेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी निष्पक्षता के सिद्धान्त के लिए हम अब तक लड़ते आये हैं। इसीलिए हम ने संविधान बनाया है। आप इसे इस प्रकार कुचल नहीं सकते हैं। आप इस प्रकार प्रजातंत्र प्रणाली को ही समाप्त कर देना चाहते हैं।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है। भाग 'ग' राज्य अधिनियम की धारा १६ के अन्तर्गत राज्य विधान सभा में जो स्थान रिक्त हो गये हैं उन्हें जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ की धारा १५० के अन्तर्गत उपनिर्वाचन द्वारा ही भरा जा सकता है। ऐसे उपनिर्वाचन का प्रबन्ध करने का अधिकार केवल निर्वाचन-आयोग को है। इस अधिकार का प्रयोग और कोई नहीं कर सकता है। आप यह नहीं कह सकते कि उपनिर्वाचनों की आवश्यकता नहीं है, हम जनता की इच्छा की परवाह नहीं करते, हम जिसे चाहेंगे विधान सभा का सदस्य बना देंगे।

मेरी तीसरी आपत्ति यह है। संविधान के अनुच्छेद ३२४ के अनुसार संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिये निर्वाचन के लिये नामावलि तैयार कराने का तथा उन समस्त निर्वाचनों का संचालन, निदशन और नियंत्रण जिस के अन्तर्गत संसद् के तथा राज्यों के विधान-मंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या

[श्री एन० सी० चटर्जी]

संसक्त सन्देहों और विवादों के निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी है, निर्वाचन-आयोग में निहित होगा। यह विधेयक उस अनुच्छेद के प्रतिकूल है। यह विधेयक निर्वाचन-आयोग से उस का क्षेत्राधिकार छीन लेता है। यह उन लोगों को विधान-मंडलों का सदस्य बनाता है जो वहां से हटाये जा चुके हैं।

मेरी चौथी आपत्ति यह है। भाग 'ग' राज्य अधिनियम की धारा १७ के अन्तर्गत—भारत संविधान के अनुच्छेद १०३ के साथ साथ पढ़ने पर—राष्ट्रपति का आदेश अन्तिम हो जाता है। राष्ट्रपति के अधिकार संसद् भी नहीं ले सकती। यदि आप ऐसा करते हैं, जैसा कि आप इस विधेयक द्वारा करने जा रहे हैं, तो यह संविधान की भावना तथा अक्षर के प्रतिकूल होगा। संसद् ऐसा कोई विधेयक पारित नहीं कर सकती है जो राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन करता हो या उसे अधिष्ठित करता हो। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यह विधेयक राष्ट्रपति के आदेश के प्रतिकूल है। आप ऐसा विधेयक तब तक पारित नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप संविधान नहीं बदल देते हैं। राष्ट्रपति का आदेश अन्तिम है और आप को इस में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप इस विधेयक को पारित कर देते हैं तो यही समझा जायेगा कि राष्ट्रपति ने कोई ग़लत बात की थी जिसे आप सुधारना चाहते हैं। परन्तु आप का ऐसा करना बिल्कुल अवैधानिक और अनुचित है।

अतः मेरा निवेदन है कि यह एक अजीब और शरारत से भरा विधेयक है। ऐसा किसी भी देश के वैधानिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। यदि आप समझते हैं कि राष्ट्रपति ने गलत काम किया है तो आप महाभियोग चलाइये। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस विधेयक को भी पारित नहीं कर सकते। संसद् की शक्तियों का अनुच्छेद २४५ में वर्णन कर दिया गया है। आप उस से बाहर नहीं जा सकते। अतः इस विधेयक के पारित किये जाने पर ज़ोर नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री अलगूराय शास्त्री: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से अनुरोध करूंगा कि इस से पहले कि कुछ और बहस हो, ऐटार्नी जनरल साहब का भाषण होना चाहिए।

महान्यायवादी (श्री एम० सी० सीतलवाद) : इस विषय में मैं यह जानने की कोशिश करूंगा कि यह प्रस्तुत विधान असंवैधानिक है अथवा नहीं और क्या इस विधान के पुरःस्थापित करने से कोई संवैधानिक उचित बात भंग होती है। मेरी दृष्टि में इस विधान से ऐसी कोई बात नहीं होती। यह कहा गया है कि यह सारी कार्यवाही संविधान के अंतर्गत की जा रही है। यह बात भ्रमपूर्ण है। जब यह अनर्हता हुई थी, जब राष्ट्रपति का आदेश निकला था तथा चुनाव आयोग की प्रक्रिया बनाई गई थी और राष्ट्रपति का अन्तिम विनिश्चय दिया गया था तब इन कार्यों के लिए संविधान के कोई उपबन्ध नहीं थे। ये कार्य भाग ग राज्यों के अधिनियम के अधीन किए गए थे। इन अधिनियमों को संशोधित करने का संसद् को पूर्ण अधिकार है।

अनुच्छेद २४० के अनुसार भाग ग राज्यों के लिये संसद् विधान बना सकती है। इस शक्ति के आधार पर ही भाग ग राज्य अधिनियम बनाया गया था। इसी अधिनियम द्वारा विधान सभाएं बनाई गई थीं, चुनाव की प्रक्रिया बनाई गई थी तथा अपदस्थ सदस्यों के लिए उपबन्ध किया गया था। भाग ग राज्य अधिनियम संसद् के अन्य

अधिनियमों के ही समान है। उस के अधीन जो कुछ किया गया है उसे बदलने से संविधान पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता।

अनर्हता बताने के लिए अनुच्छेद १०१, १०२ अथवा १०३ का यहां पर उल्लेख करना उचित नहीं है। इस अधिनियम की धारा के अंतर्गत जो अनर्हताएं होंगी वे अनुच्छेद १०२ के अधीन अनर्हताएं न होंगी।

सारी कार्यवाही भाग ग राज्य अधिनियम के अधीन की गई है अतएव वह असंवैधानिक नहीं है। जब वह अधिनियम बनाया गया था तब यह निश्चय नहीं किया गया था कि अनर्हता का प्रश्न कैसे तय किया जाए। यह बात धारा ४३ के अधीन लाई गई। उस के अधीन राष्ट्रपति का आदेश आया तथा चुनाव आयोग का निश्चय राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। अतएव राष्ट्रपति के विनिश्चय के पश्चात् जो कुछ भी हुआ वह संविधान के अन्तर्गत नहीं अपितु भाग ग राज्य अधिनियम के अधीन हुआ। संविधान द्वारा दी गई शक्ति का नहीं अपितु धारा ४३ के अधीन दी गई शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ने किया। अतएव यह कहना असंगत है कि संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के अधीन दिया गया विनिश्चय इस से अमान्य कर दिया जाता है। संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का राष्ट्रपति ने प्रयोग ही नहीं किया है। संसद् के विधान द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसार उस ने कार्य किया है। इस विधान में संसद् यथेच्छ परिवर्तन कर सकती है।

१९३२ में लंका विधान सभा के एक सदस्य की अनर्हता के बारे में ऐसी ही बात हुई थी। सम्राट् के सपरिषद् आदेश के अधीन चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद एक सदस्य पर इस बात का मुकद्दमा चलाया गया कि अनर्हित होने पर भी उस ने सदस्य के रूप में विधान सभा की कार्यवाहियों में भाग लिया है। जब मुकद्दमा चल रहा था तब सपरिषद् संशोधित आदेश द्वारा सम्राट् ने उस की अनर्हता हटा दी। आपत्ति यह उठाई गई कि क्या वह आदेश भूतलक्षी हो सकता था अथवा नहीं ?

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : यह मामला कहां छपा है ?

महान्यायवादी : १९३२ अपील केसेज, पृष्ठ २६०।

प्रिवी कोंसिल ने अन्त में यह तय किया कि विधान सभा को अपने विधानों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है। इस विधान में भी वही सिद्धांत निहित है। चुनाव, अनर्हता और चुनाव आयोग तथा राष्ट्रपति के कार्य संसद् के विधान के कारण हुए थे। उस विधान के जो परिणाम हुए हैं उन्हें संसद् हटा सकती है। प्रस्तुत विधान असंवैधानिक नहीं है। संविधान की दृष्टि से वह उचित है।

इंगलैंड में जो सदस्य लाभपद धारण करते हैं वे अनर्हित कर दिए जाते हैं। ध्येय यह है कि संसद् के ऊपर कार्यपालिका का प्रभाव न रहे। यह जानते हुए भी सदस्य कभी कभी गलती कर बैठते हैं। ऐसे मामलों में संसद् भूतलक्षी प्रभाव वाले क्षतिपूरा अधिनियम पारित कर देती है जिस से कि सदस्य को दंडित न होना पड़े। मैं की पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में २१२ और २१३ पृष्ठ में यह बातें दी गई हैं। वहां ३ उदाहरण भी दिये गए हैं। १९४१ में श्री जैनकिन्स ने एक लाभपद ग्रहण किया था। उस के लिये वेतन तो नहीं दिया जाता था परन्तु प्रत्येक बैठक के लिए कुछ राशि दी जाती थी। उन्होंने वह राशि भी नहीं ली थी। संसद् ने भूतलक्षी प्रभाव वाला क्षतिपूर अधिनियम बना कर उन की अनर्हता दूर कर दी थी।

पंडित बालकृष्ण शर्मा (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा---पूर्व) : यदि उन्होंने वह राशि स्वीकार कर ली होती तो क्या होता ?

महान्यायवादी : उस से कोई भेद नहीं पड़ता। दूसरा उदाहरण १९४५ का है। कोर्ट-ब्रिज और स्प्रिंगबर्न से जो लोग चुने गए थे वे चुनाव के समय अनर्हित कर दिए गए थे क्योंकि वे एक ट्रिब्यूनल के सदस्य थे तथा इस के लिए उन्हें यात्रा भत्ता आदि के लिए कुछ राशि मिलती थी। संसद् ने चुनाव मान्यता अधिनियम बनाकर उन के चुनाव को मान लिया।

प्रस्तुत मामले में सदस्यों ने सद्भाव से अनजाने में यह गलती की है।

एक और उदाहरण दिया गया है। दो सदस्य जनरल मेडिकल कौंसिल के सदस्य चुन लिए गए। उस से उन्हें कुछ राशि मिलने लगी। बाद में उन्हों ने वह पद छोड़ दिया। उन्हें बचाने के लिए एक क्षतिपूर अधिनियम पारित किया गया। उनकी अनर्हता हटा दी गई।

पंडित बालकृष्ण शर्मा : क्या उन्हें फिर से सदस्य बना लिया गया ?

महान्यायवादी : जी नहीं।

पंडित बालकृष्ण शर्मा : वह दूसरी बात है। यहां तो लोगों को सदस्य बनाया जा रहा है।

महान्यायवादी : मैं तो केवल यह बता रहा हूं कि आप कानूनन क्या क्या कर सकते हैं। किसी खास मामले में आप क्या करेंगे यह आप पर निर्भर रहेगा। यदि सद्भाव से अनर्हता हुई है और कानूनी दृष्टि से कोई पद लाभपद है तो अनर्हता मिटाना संवैधानिक दृष्टि से उचित है। उन्हें विधान सभा का सदस्य बने रहने देना भी उचित है।

इस विधान से राष्ट्रपति के आदेश का अपमान नहीं होता न चुनाव आयोग को ही कलंक लगता है। राष्ट्रपति ने संसद् के विधान द्वारा दी गई शक्ति के अनुसार कार्य किया है। राष्ट्रपति और चुनाव आयोग के विनिश्चय को मान्यता दी गई है। उस ठीक विनिश्चय के प्रभाव को सुधारने के लिए यह विधान बनाया गया है। अतएव यह विधान संविधान की दृष्टि से उचित है।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : भारत की तरह इंगलैंड में क्या चुनाव आयोग है, अथवा इस मामले में हाउस आफ कामन्स ही सब कुछ तय करता है ? यदि वहां पर हम से भिन्न बातें हैं तो वहां के उदाहरण यहां लागू नहीं किए जा सकते।

महान्यायवादी : इंगलैंड में अनर्हता की बातें हाउस आफ कामन्स निश्चित करता है। वह समिति नियुक्त करता है। समिति की रिपोर्टों पर वह विचार करता है। परन्तु इस से कोई भेद नहीं पड़ता क्योंकि यहां पर आयोग को संसद् ही अधिकार देती है। संसद् को उस स्थिति में परिवर्तन करने का अधिकार है जो उस ने स्वयं निश्चित की थी।

श्री राघवाचारी : प्रश्न यह नहीं है कि उन मामलों में अन्तिम आदेश के पूर्व वे अनर्हताएं, अनर्हताएं नहीं मानी गईं।

महान्यायवादी : अनर्हताएं थीं इस लिए पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय : आदेश का प्रश्न ही नहीं है।

श्री राघवाचारी : पार्लियामेन्ट के कानून बनाने के पहले अनर्हता का कोई अन्तिम आदेश

नहीं होता क्योंकि पार्लियामेंट द्वारा समिति की रिपोर्ट स्वीकार होने पर ही अन्तिम आदेश दिया जा सकता है।

महान्यायवादी : अनर्हता की जांच के लिए वहां प्रवर समितियां नियुक्त की जाती हैं। उस की रिपोर्ट में अनर्हता के होने के कारणों का उल्लेख रहता है तथा यह भी बताया जाता है कि वे सद्भाव से हुई अथवा नहीं। यदि अनजाने में सद्भाव से अनर्हता होती है तो भूतलक्षी प्रभाव वाले विधान से वह दूर कर दी जाती है।

श्री के० के० बसु : हमारे यहां राष्ट्रपति द्वारा अनर्हता घोषित होने पर सदस्य अपदस्थ हो जाता है। इंगलैंड में क्या इस के लिए प्रवर समिति कोई आदेश देती है?

महान्यायवादी : वहां पर कुछ अधिनियमों में वे बातें उल्लिखित हैं जिन के कारण अनर्हता हो जाती है। लाभपद ग्रहण करते ही वह अनर्ह हो जाता है। इस के पश्चात् हाउस आफ कामन्स द्वारा नियुक्त की गई प्रवर समिति उस की जांच करती है। जिस तरह हमारे यहां धारा १७ के अनुसार ये व्यक्ति अनर्ह हो गए हैं उसी तरह वहां के अधिनियमों के अनुसार वे अनर्ह हो जाते हैं।

श्री के० के० बसु : मेरा तात्पर्य यह है . .

उपाध्यक्ष महोदय : ये यह जानना चाहते हैं कि वहां लाभपद ग्रहण करने के पश्चात् सदस्यों का अनर्हीकरण हो जाता है अथवा समिति नियुक्त होने अथवा घोषणा होने के पश्चात्?

श्री के० के० बसु : क्या समिति के विनिश्चय के पश्चात् स्थान रिक्त होता है अथवा यह बात अन्य किसी विधि द्वारा निश्चित होती है?

महान्यायवादी : अनर्हीकरण होते ही स्थान रिक्त हो जाता है। उस के पश्चात् यदि वह व्यक्ति सदन की बैठकों में उपस्थित रहे तो उसे दंड दिया जाता है। इस दंड से उसे बचाने के लिए क्षतिपूर अधिनियम पारित किए गए हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं महान्यायवादी से तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या इंगलैंड में पार्लियामेंट चुनाव के लिए लेख निकालती है? पार्लियामेंट की इस शक्ति पर क्या लिखित संविधान का कोई नियंत्रण है? जिन उदाहरणों का यहां उल्लेख किया गया है उन में क्या पार्लियामेंट ने समितियां नियुक्त की थीं तथा उन समितियों ने क्या अपनी रिपोर्टों में यह लिखा कि वास्तव में कोई अपराध नहीं हुआ अतएव वे क्षमा कर दिए जाएं। वहां पर इस के लिए क्या कोई न्यायाधिकरण नहीं है तथा समिति की सिपारिशों पर क्या संसद् स्वयं कठिनाई मिटा देती है।

महान्यायवादी : वहां इस कार्य के लिए हमारे चुनाव आयोग के समान कोई न्यायाधिकरण नहीं होता। प्रत्येक मामले के लिए अलग समिति नियुक्त की जाती है। संसद् का कार्य किसी लिखित संविधान के अनुसार नहीं होता। पहले प्रश्न के विषय में मैं ठीक प्रकार से नहीं कहता कि लेख कौन निकालता है।

उपाध्यक्ष महोदय : महान्याय वादी का तात्पर्य यह है कि जहां तक भाग ग राज्यों का सम्बन्ध है, संसद् द्वारा बनाया गया नियम लागू होता है। यदि भाग क और भाग ख राज्यों में भी ऐसा प्रश्न उठे तो क्या अनुच्छेद १०२ (क) के अधीन संसद् कह सकेगी कि अमुकपद लाभपद है अथवा नहीं। उस अनुच्छेद में लिखा है—"ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना संसद् ने बिधि द्वारा घोषित किया है।" इस दशा में

[उपाध्यक्ष महोदय]

संसद् का अधिनियम बनाना क्या संवैधानिक होगा ?

महान्यायवादी : खंड १०२ के अधीन संसद् को यह तय करने की शक्ति दी गई है कि कौन सा पद लाभपद है और कौन सा नहीं है। यह बात वह विस्तृत विधान द्वारा तय कर सकती है अथवा यथासमय विभिन्न पदों के विषय में निश्चय कर सकती है। संसद् वास्तविक लाभपदों के विषय में भी यह घोषित कर सकती है कि वे लाभपद नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी व्यक्ति को अनर्ह घोषित कर दे।

महान्यायवादी : राष्ट्रपति गणतंत्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। चुनाव आयोग का जो विनिश्चय होता है उसे वह स्वीकार करता है। उसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अनर्हता हटाने का अधिकार केवल संसद् को है अथवा चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति को भी है ?

महान्यायवादी : वे अनर्हता नहीं हटा सकते। यदि उस का सम्बन्ध संसद् के विधान से है तो उचित विधान द्वारा अनर्हता हटाई जा सकती है। यदि संवैधानिक अनर्हता हुई है तो संसद् उसे उस प्रकार हटा सकती है जिस से कि वह संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं महान्यायवादी को धन्यवाद देता हूं।

इसके पश्चात् सदन की बठक सोमवार ११ मई, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

GIPD—HS—257 PSD—5-2-54—285